



19 जनवरी 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक, कचहरी चौक, राँची-834001 को किराए पर विभिन्न प्रकार की कार/यूटिलिटी वाहन उपलब्ध कराने के लिए राँची स्थित प्रतिष्ठित फर्मों/एजेंसियों/कंपनियों के पैनल में शामिल करने के लिए ई-निविदा

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची द्वारा एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, कचहरी, राँची 834001 को विभिन्न प्रकार की कारें/यूटिलिटी वाहन किराए पर उपलब्ध कराने के लिए राँची स्थित प्रतिष्ठित फर्मों/एजेंसियों/कंपनियों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत निविदा सूचना के साथ ई-निविदा एमएसटीसी वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> और बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर निविदा मेनू के अंतर्गत दिनांक 19 जनवरी 2026 को अपराह्न 15:00 बजे से उपलब्ध रहेगा।

2. सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त दिए गए वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा।

3. कार्य की अनुमानित लागत **₹50,00,000/- (जीएसटी सहित लगभग)** है।

4. ई-निविदा प्रक्रिया का शिड्यूल इस प्रकार है:

1.	विभाग का नाम	संपदा विभाग
2.	कार्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची - 834001 को विभिन्न प्रकार की कारें/यूटिलिटी वाहन किराए पर उपलब्ध कराने के लिए राँची स्थित प्रतिष्ठित फर्मों/एजेंसियों/कंपनियों के लिए ई-निविदा
3.	निविदा सं	RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/HRMD/3/25-26/ET/864 [Empanelment of Car Hiring Firm]
4.	निविदा का माध्यम	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम, वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से ऑनलाइन (भाग I- तकनीकी वाणिज्यिक बोली और भाग -II - वित्तीय बोली)
5.	कार्य की अनुमानित लागत	₹50,00,000/- (रूपये: पचास लाख मात्र) (जीएसटी सहित लगभग)
6.	निविदाकर्ताओं को डाउनलोड हेतु उपलब्ध निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) की तिथि	19 जनवरी 2026 15:00 बजे से
7.	प्री-बिड मीटिंग की तारीख	28 जनवरी, 2026 को 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, पहली मंजिल, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड)
8.	बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि	9 फरवरी 2026, 15.00 बजे से पहले
9.	https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन तकनीकी बोली (Part-I) और वित्तीय बोली (Part-II) जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तारीख	19 जनवरी 2026, 15:00 बजे से।
10.	तकनीकी बोली (Part-I) और वित्तीय बोली (Part-II) जमा करने के लिए ई-निविदा बंद करने की तारीख	9 फरवरी 2026 को 15:00 बजे तक
11.	तकनीकी बोली (भाग-I) के खोले जाने की तिथि और समय	9 फरवरी 2026 को 15:00 बजे तक



12.	वित्तीय बोली (भाग-II) के खोले जाने की तिथि और समय	वित्तीय बोली खोलने की तारीख और समय को अलग से सूचित किया जाएगा।						
13.	बयाना जमा राशि	<div>₹1,00,000/- (कुल अनुबंध मूल्य का 2% होने के नाते प्रत्येक बोलीदाता द्वारा एनईएफटी के रूप में 9 फरवरी 2026 को या उससे पहले, 14.00 बजे से पहले जमा किया जाएगा) लाभार्थी खाता नाम आरबीआई एनईएफटी आवक प्राप्त</div> <table><tr><td>Beneficiary A/c Name</td><td>RBI NEFT Inward Received</td></tr><tr><td>Beneficiary A/c number</td><td>186003001</td></tr><tr><td>IFSC</td><td>RBISORNPA01 (Fifth and Tenth character in IFSC is Zero)</td></tr></table> <div>कृपया एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में अपना नाम/कंपनी का नाम बताएं। निविदाकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर भेजें: hrmdranchi@rbi.org.in</div>	Beneficiary A/c Name	RBI NEFT Inward Received	Beneficiary A/c number	186003001	IFSC	RBISORNPA01 (Fifth and Tenth character in IFSC is Zero)
Beneficiary A/c Name	RBI NEFT Inward Received							
Beneficiary A/c number	186003001							
IFSC	RBISORNPA01 (Fifth and Tenth character in IFSC is Zero)							
14.	लेन देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा शुल्क के रूप में लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।						

5. प्राप्त निविदाओं के भाग-I की जाँच करने के पश्चात् योग्य निविदाकर्ताओं के निविदा के भाग-II को अगले कार्य दिवस को खोला जाएगा, जिसकी सूचना सभी योग्य निविदाकर्ताओं को दी जाएगी। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि ई-निविदा के लिए कोई भी परिशिष्ट/ शुद्धि-पत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो केवल ऊपर दिए गए आरबीआई और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची



भारतीय रिज़र्व बैंक राँची

भाग - I

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के लिए कार हायरिंग फर्म/ एजेंसियों/ कंपनियों के पैनल
बनाने के लिए ई-निविदा

निविदा संख्या RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/HRMD/3/25-26/ET/864

[Empanelment of Car Hiring Firm]

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची ने इच्छुक पक्षों को अनुबंध के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें शामिल जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसका कोई प्राधिकरण या एजेंसी, और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार, इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई आश्वासन देते हैं या कोई प्रत्यक्ष या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी पूर्ण या विस्तृत होने के उद्देश्य से नहीं दी गई है। इच्छुक पक्षों को अपनी ओर से स्वयं पूछताछ/जाँच करने की आवश्यकता है, और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा कर लिया है, और वे निविदा जमा करते समय केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जा रही है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुबंध के साथ आगे न बढ़ने या अनुबंध के स्वरूप में बदलाव करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारिणी को बदलने या लागू होने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक किसी भी इच्छुक पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा न करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में MSTC के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो कि नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। विक्रेता के पास Class III साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। निविदाकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। MSTC/भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को ऑनलाइन www.mstcecommerce.com/eprocn पर जमा करना होगा।

1). निविदाकर्ताओं को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है: www.mstcecommerce.com → e-Procurement → PSU/Govt. Depts → RBI → Register as Vendor → विवरण भरें और अपना यूजर आईडी व पासवर्ड बनाएँ → Submit

2). निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किए गए ईमेल पर पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम-जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया MSTC/भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची से संपर्क करें (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व बैंक):

क्र.सं.	नाम	पदनाम	ईमेल	मोबाइल
1	श्री नितिन गौरव	प्रबंधक	hrmdranchi@rbi.org.in	9455143206
2	श्री धर्मवीर सिंह	सहायक प्रबंधक	hrmdranchi@rbi.org.in	8850678743

संपर्क व्यक्ति (MSTC Ltd):

क) श्री श्रेयांश जैन, ई-मेल आईडी: rncopn2@mstcindia.in, मोबाइल: 7411651015

ख) श्री तन्मय दत्ता, ई-मेल आईडी: rncopn4@mstcindia.in, मोबाइल: 9674487807

B) सिस्टम आवश्यकताएँ:

I. Windows 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम।

II. IE-7 (इंटरनेट एक्सप्लोरर) और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र।

III. साइनिंग टाइप डिजिटल हस्ताक्षर।

IV. JRE-7 अपडेट 9 और उससे ऊपर का सॉफ़्टवेयर सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए।

V. साइनर बॉक्स में DSC दिखाई देने के लिए "Protected Mode" को अक्षम (Disable) करने हेतु निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं:

- Tools => Internet Options => Security => यदि "Enable Protected Mode" सक्रिय है, तो उसे अक्षम करें— अर्थात्, "Enable Protected Mode" वाले टिक बॉक्स से टिक हटा दें।

C) अन्य सेटिंग्स:

- Tools => Internet Options => General => "browsing history / Delete Browsing History" के अंतर्गत Settings पर क्लिक करें => Temporary Internet Files => "Every time I Visit the Webpage" को सक्रिय करें।
- Tools → Internet Options → Custom level के अंतर्गत सभी Active X controls को सक्षम (Enable) करें और 'use pop up blocker' को अक्षम (Disable) करें। (कृपया एक बार www.mstcecommerce.com पेज से IE सेटिंग्स चलाएँ)।

अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता www.mstcecommerce.com/eprocn पर उपलब्ध 'सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)' देख सकते हैं।

D) तकनीकी बोली (Technical Bid) और वित्तीय बोली (Financial Bid) ऑनलाइन www.mstcecommerce.com/eprocn पर जमा करनी होगी। निविदाएं (Tenders) निविदा में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

E) निविदा की सभी प्रविष्टियाँ ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय/मूल्य प्रारूपों में बिना किसी अस्पष्टता के भरी जानी चाहिए।

F) लेनदेन शुल्क: निविदाकर्ताओं को विक्रेता लॉगिन में "My Menu" के अंतर्गत "**Transaction Fee Payment**" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। निविदाकर्ताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास **NEFT** या **ऑनलाइन भुगतान** के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। **NEFT** चुनने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता बिना किसी बदलाव के चालान पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क की राशि प्रेषित करेगा। **ऑनलाइन भुगतान** चुनने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान MSTC के नामित बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम-जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। **लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है।** लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकेगा।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा बंद होने के समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क जमा कर दें ताकि उनके पास बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय रहे। अपलोड की गई निविदाओं / शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप दिए जाने तक केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए, निविदाकर्ताओं के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि MSTC के साथ पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी **ईमेल** वैध और अद्यतन है। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने **DSC (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र)** की वैधता सुनिश्चित करें। NIT में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुँचा जा सकता है।

G) ई-निविदा में बोली लगाना:

i) ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने हेतु विक्रेता(ओं) को आवश्यक **बयाना जमा राशि (EMD)** और **लेनदेन शुल्क** (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) की EMD निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दी जाएगी।

ii) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

iii) जिन विक्रेता(ओं) ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU / Govt depts → Login under RBI → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event के माध्यम से अपनी तकनीकी और वित्तीय बोली इंटरनेट के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

iv) विक्रेता को JAVA एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास 'बिड फ्लोर' (Bid floor) खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें सामान्य शर्तें / व्यावसायिक विनिर्देश भरने होंगे और उन्हें 'सेव' करना होगा। उसके बाद, उन्हें तकनीकी बोली पर क्लिक करना चाहिए। यदि यह JAVA एप्लीकेशन नहीं चलाई जाती है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा।

v) तकनीकी बोली भरने के बाद, निविदाकर्ताओं को इसे रिकॉर्ड करने के लिए **'save'** पर क्लिक करना होगा। एक बार वित्तीय बोली का लिंक सक्रिय हो जाने और विवरण भर जाने के बाद, निविदाकर्ताओं को वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए **"save"** पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सेव होने के बाद, विक्रेता को बोलियों को पंजीकृत करने के लिए **"Final submission"** बटन पर क्लिक करना होगा।

vi) निविदाकर्ताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए **'Attach Doc'** बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एक साथ कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

vii) सभी मामलों में, निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करते समय अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) का उपयोग करें।

viii) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, निविदाकर्ता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से अज्ञात (Anonymous) रहेंगे।

ix) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

x) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और बैंक द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर कार्य के निष्पादन के लिए बैंक और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनेगा।

xi) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) के साथ जमा की जाएँ, अन्यथा सिस्टम द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

xii) बैंक के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

xiii) निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली जमा करना निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

H) इस निविदा (निविदा) के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

I) तकनीकी और वित्तीय नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं है।

J) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

K) निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए www.mstcecommerce.com/eproc पेज पर उपलब्ध विक्रेता गाइड को पढ़ें और वीडियो देखें।



भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची
निविदा आमंत्रण सूचना
(केवल ई-क्रय के माध्यम से)

निविदा की अनुसूची

मद	ब्योरा						
ई-निविदा संख्या:	e-Tender no. RBI/ RANCHI REGIONAL OFFICE/ HRMD/ 3/ 25-26 /ET/ 864 [Empanelment of Car Hiring Firm]						
निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, कचहरी, राँची - 834001 को बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और अतिथियों के स्थानीय / बाहरी दौरों के लिए "आवश्यकता के आधार" पर विभिन्न प्रकार की कारें / उपयोगिता वाहन किराए पर प्रदान करने हेतु राँची स्थित प्रतिष्ठित फर्मों / एजेंसियों / कंपनियों के पैनल बनाने के लिए ई-निविदा। अवधि: 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक (एजेंसी द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन और अनुबंध संबंधी दायित्वों के पालन के अधीन, इसे अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए, एक बार में एक वर्ष, बढ़ाया जा सकता है)।						
निविदा की विधि	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – वित्तीय बोली www.mstcecommerce.com/eproc के माध्यम से)						
निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने की तिथि	19 जनवरी, 2026, दोपहर 15.00 बजे से						
बोलीपूर्व बैठक	28 जनवरी, 2026 को सुबह 11:00 बजे, भारतीय रिज़र्व बैंक, पहली मंजिल, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड) में।						
कार्य की अनुमानित लागत	₹ 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र)						
बयाना जमा राशि	₹ 1,00,000/- (कुल अनुबंध मूल्य का 2%, जो प्रत्येक बोलीदाता द्वारा जमा किया जाएगा) NEFT के रूप में 02 फरवरी, 2026 को दोपहर 14.00 बजे या उससे पहले। <table border="1" data-bbox="746 1720 1378 2033"> <tr> <td>Beneficiary A/c Name</td><td>RBI NEFT Inward Received</td></tr> <tr> <td>Beneficiary A/c number</td><td>186003001</td></tr> <tr> <td>IFSC</td><td>RBISORNPA01 (IFSC कोड में पाँचवाँ एवं दसवाँ अक्षर शून्य है)</td></tr> </table>	Beneficiary A/c Name	RBI NEFT Inward Received	Beneficiary A/c number	186003001	IFSC	RBISORNPA01 (IFSC कोड में पाँचवाँ एवं दसवाँ अक्षर शून्य है)
Beneficiary A/c Name	RBI NEFT Inward Received						
Beneficiary A/c number	186003001						
IFSC	RBISORNPA01 (IFSC कोड में पाँचवाँ एवं दसवाँ अक्षर शून्य है)						

	कृपया NEFT लेनदेन रिमार्क में अपना नाम/कंपनी का नाम लिखें। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे लेनदेन संख्या के साथ प्रेषण का प्रमाण (स्कैन की गई प्रति) निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर भेजें: hrmdranchi@rbi.org.in
बयाना राशि (EMD) जमा करने की अंतिम तिथि	09 फरवरी 2026 को 15:00 बजे से पहले
ऑनलाइन तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर)	19 जनवरी 2026, को 15:00 बजे से
ऑनलाइन तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत करने हेतु ई-निविदा समापन की तिथि	09 फरवरी 2026 को 14:00 बजे
भाग-I (अर्थात तकनीकी बोली) खोलने की तिथि एवं समय	09 फरवरी 2026, को 15:00 बजे.
भाग-II (अर्थात वित्तीय बोली) खोलने की तिथि / समय / स्थान (पृथक से सूचित किया जाएगा)	वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय पृथक से सूचित किया जाएगा।
लेन-देन शुल्क	लिमिटेड द्वारा यथानिर्धारित। लेन-देन शुल्क का भुगतान MSTC भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

नोट:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर उनके ग्राहकों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और निविदा के भाग-II को खोलने से पहले मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि कोई निविदाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं रखता है और/या उसके क्लाइंट्स से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट और/या उसके बैंकर्स की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो RBI के पास उसके निविदा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. RBI सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके पास किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। साथ ही, बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
3. प्रत्येक निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मुहर/स्टैम्प के साथ) करना होगा और MSTC पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करते समय उन्हें अपलोड करना होगा।
4. निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे भाग-I (तकनीकी बोली) के साथ भाग-II (वित्तीय बोली) जमा न करें, अन्यथा उनकी भागीदारी को खारिज कर दिया जाएगा।

निविदा दस्तावेज़ RBI की वेबसाइट www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट / ई-पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को बोली जमा करने से पहले किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट / ई-पोर्टल की जाँच करनी चाहिए। बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

विषय-सूची

- भाग 1 : निविदा प्रक्रिया

खंड I: निविदा आमंत्रण सूचना

खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश

खंड III: निविदा डेटा शीट

खंड IV: मूल्यांकन मानदंड

- भाग 2 – अनुबंध की शर्तें और अनुबंध प्रपत्र :

खंड V: अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें

खंड VI: मानक प्रारूप

भाग 1

निविदा प्रक्रिया

खंड I: निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक राँची

दिनांक: 19 जनवरी 2026

संदर्भ : **RBI/ RANCHI REGIONAL OFFICE/ HRMD/3/25-26/ET/864 [Empanelment of Car Hiring Firm]**

भारतीय रिजर्व बैंक, राँची – **834001** (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है), बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और मेहमानों के स्थानीय और बाहरी दौरों के लिए "आवश्यकता के आधार" पर विभिन्न श्रेणियों की कार/उपयोगिता वाहनों के पैनल के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। यह अनुबंध प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष की अवधि (**01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027**) के लिए होगा। हालांकि, संतोषजनक प्रदर्शन और एजेंसी द्वारा अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों को उचित रूप से पूरा करने की स्थिति में, आपसी सहमति और परस्पर निर्धारित दरों पर इस अनुबंध को **31 मार्च, 2029** तक वार्षिक आधार पर या उससे कम अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त पैनल (सूचीबद्धता) के लिए, निविदाकारों को ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार अपना प्रस्ताव, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से 09 फरवरी 2026 को दोपहर 15:00 बजे तक या उससे पहले जमा करना होगा। निविदाकारों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार ₹1,00,000/- की प्रतिदेय ईएमडी के साथ अपना निविदा प्रस्ताव पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोलियां 09 फरवरी 2026 को अपराह्न 15:00 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

यदि ऊपर बताई गई किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा।

निविदा दस्तावेज आरबीआई (RBI) की वेबसाइट 'www.rbi.org.in' और 'www.mstcecommerce.com' से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र (या स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकार को किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए और उसका सत्यापन करने के बाद ही अपनी बोली जमा करनी चाहिए। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक, राँची

खंड II – निविदाकर्ताओं को निर्देश (ITB)

शर्तों की तालिका :

खंड	क्रम सं.	विवरण
क. सामान्य	1	निविदा का दायरा
	2	निवारित आचरण
	3	पात्रता मानदंड
ख. निविदा दस्तावेज़ की विषयवस्तु	4	निविदा दस्तावेज़ के खंड
	5	निविदा दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण
	6	बोली-पूर्व बैठक
	7	निविदा दस्तावेज़ में संशोधन
ग. निविदाओं की तैयारी	8	निविदा लागत
	9	निविदा में सम्मिलित दस्तावेज़
	10	निष्पादन गारंटी
	11	निविदादाता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज़
	12	निविदाओं की वैधता अवधि
	13	निविदा सुरक्षा के रूप में बयाना राशि (EMD)
घ. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण एवं उद्घाटन	14	निविदाओं का प्रस्तुतिकरण, सीलबंदी एवं अंकन
	15	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
	16	देर से निविदाएं
	17	निविदा उद्घाटन
	18	गोपनीयता
	19	निविदाओं का स्पष्टीकरण
	20	निविदाओं का मूल्यांकन
	21	निविदाकर्ता की योग्यता
	22	किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार
	23	आवंटन का मानदंड
	24	आवंटन की अधिसूचना
	25	अनुबंध पर हस्ताक्षर
	26	प्रदर्शन सुरक्षा

खंड 2 - बोलीदाताओं के लिए निर्देश

क. सामान्य

1	निविदा का दायरा	<p>बैंक कार रेंटल एजेंसियों को पैनल (सूचीबद्ध) करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र निविदाकारों से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। यह पैनल प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027) के लिए होगा।</p> <p>हालांकि, संतोषजनक कार्य निष्पादन और एजेंसी द्वारा समझौते के सभी नियमों और शर्तों को उचित रूप से पूरा करने की स्थिति में, आपसी सहमति और परस्पर निर्धारित दरों पर इस अनुबंध को 31 मार्च, 2029 तक वार्षिक आधार पर या उससे कम अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p> <p>कार्य का विस्तृत विवरण खंड V.1 और खंड V.2 में दिया गया है। अनुबंध का अनुमानित मूल्य ₹50 लाख प्रति वर्ष है।</p>
2	निवारित आचरण	<p>बैंक यह अपेक्षा करता है कि जो निविदाकार बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने के इच्छुक हैं, वे अनुबंध/जुड़ाव की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दिए गए शब्दों को "निषिद्ध प्रथाओं" के रूप में परिभाषित करता है:</p> <p>(i) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यवान वस्तु की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या मांगना।</p> <p>(ii) "धोखाधड़ी पूर्ण आचरण" का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य या चूक, जिसमें गलत बयानी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयास करता है।</p> <p>(iii) "मिलीभगत वाला आचरण" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक ऐसी व्यवस्था, जिसे अनुचित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाया गया हो, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है।</p> <p>(b) यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि आवंटन के लिए अनुशंसित निविदाकार संबंधित निविदा की प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में शामिल रहा है, तो बैंक पुरस्कार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।</p> <p>(c) बैंक किसी निविदाकार को अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए अपात्र घोषित कर सकता है, यदि किसी भी समय बैंक यह पाता है कि निविदाकार अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में शामिल रहा है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, निविदाकारों को खंड V (अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें) में बताए गए प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए।</p>
3	पात्रता मानदंड	<p>निविदाकार एक अत्यंत प्रतिष्ठित एवं सक्षम वाहन भाटक अभिकरण अथवा कंपनी होना चाहिए। बैंक द्वारा सामान्यतः अपेक्षित वाहनों के निर्माण, मॉडल तथा वह प्रारूप जिसमें दरें उद्धृत की जानी हैं, वित्तीय बोली प्रारूप (प्रपत्र II) में सूचीबद्ध हैं।</p> <p>वाहनों के आरक्षण में प्रभावी समन्वय एवं अल्प सूचना पर वाहनों की उपलब्धता हेतु निविदाकार का राँची में कार्यालय एवं तंत्र होना अनिवार्य है।</p>

		<p>निविदाकार के पास परिवहन सेवा क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए तथा विगत तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का वार्षिक औसत आवर्त 50 लाख रुपये प्रति वर्ष से न्यून न हो।</p> <p>निविदाकार विगत दो वर्षों के दौरान न्यूनतम एक शासकीय अथवा अर्ध-शासकीय संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उपक्रम अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनी को संविदात्मक भाड़े पर वाहन प्रदान कर रहा हो या प्रदान कर चुका हो।</p> <p>निविदाकर्ता फर्म, अभिकरण अथवा कंपनी के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में न्यूनतम 15 कारों का बेड़ा होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित वाहन सम्मिलित हों, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हों: मारुति डिजायर, टोयोटा इटियोस, इंडिगो, होंडा अमेज, हुंडई एक्सेंट, निसान सनी, होंडा सिटी, टोयोटा यारिस, मारुति सियाज, टोयोटा इनोवा/इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा कोरोला एल्टिस, होंडा सिविक, टोयोटा कैमरी एवं अन्य (पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की प्रतियां संलग्न करें)। नियंत्रणाधीन वाहनों हेतु बोलीदाता को आर.सी. की प्रतियों सहित प्रासंगिक अनुबंध प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे प्रलेखन की पर्याप्तता तथा पात्रता मानदंडों के अंतर्गत वाहनों की स्वीकार्यता पर भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा। वाहनों के पास वैध टैक्सी परमिट एवं वाणिज्यिक पंजीकरण अनिवार्य है।</p> <p>अभिकरण आर.टी.ओ. में वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत, वैध टैक्सी परमिट (स्थानीय एवं अखिल भारतीय) तथा अन्य वैधानिक अनापत्ति युक्त वाहन प्रदान करने में सक्षम हो। सेवा प्रदाता सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध अवधि में वाहन पंजीकृत हों तथा यथा संशोधित भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अनुपालन करते हों।</p> <p>अभिकरण झारखंड राज्य दुकान एवं स्थापना नियमावली 2001 के अंतर्गत पंजीकृत हो तथा पर्यटन एवं यात्रा सेवाएं संचालित करने हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र धारक हो। बैंक के अतिथियों अथवा अधिकारियों हेतु प्रयुक्त सभी वाहन वाणिज्यिक होने चाहिए। ऐसे वाहनों की सूची अनुबंध-III के अनुसार प्रस्तुत की जाए।</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त वाहन मार्ग-योग्य हों तथा प्रत्येक वाहन की आयु 5 वर्ष से कम हो अथवा वह 1 लाख कि.मी. से अधिक न चला हो, जो भी पूर्वतर हो। निविदाकार के पास सभी लागू कर पंजीकरण (यथा पैन, टिन, जी.एस.टी.आई.एन. आदि) होने अनिवार्य हैं।</p>
4	निविदा दस्तावेज़ के खंड	<p>निविदा प्रलेख में भाग 1 एवं 2 सम्मिलित हैं, जिनमें नीचे निर्दिष्ट समस्त खंड निहित हैं। इन्हें खंड II (बोलीदाताओं हेतु निर्देश) के अनुसार जारी किसी भी परिशिष्ट अथवा अनुबंध के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।</p> <p>भाग 1 – निविदा प्रक्रियाएं: खंड I: निविदा आमंत्रण सूचना खंड II: बोलीदाताओं हेतु निर्देश खंड III: निविदा विवरण पत्रिका खंड IV: मूल्यांकन एवं चयन मानदंड</p> <p>भाग 2 – संविदा की शर्तें एवं संविदा प्रपत्र खंड V: संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें खंड VI: मानक प्रारूप</p>

5	निविदा दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण	इस प्रलेख के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण हेतु निविदाकार इस प्रलेख में उल्लिखित ईमेल पते पर बैंक से लिखित संपर्क करें अथवा 19 जनवरी, 2025 तक पूछताछ प्रस्तुत करें। Email-id – hrrmdranchi@rbi.org.in
6	बोली-पूर्व बैठक	निविदा-पूर्व बैठक 19 जनवरी, 2026 को 11:00 बजे भारतीय रिजर्व बैंक, प्रथम तल, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड), 834001 पर आयोजित होगी। टिप्पणी: यदि बैंक आवश्यक समझे, तो स्वविवेक से निविदा-पूर्व बैठक निरस्त कर सकता है अथवा इसे ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कर सकता है। निविदा-पूर्व बैठक में अनुपस्थिति अयोग्यता का आधार नहीं होगी।
7	निविदा दस्तावेज़ में संशोधन	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) अथवा ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी कर इस प्रलेख को संशोधित कर सकता है तथा इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। जारी किया गया कोई भी संशोधन अथवा शुद्धिपत्र इस प्रलेख का अंग होगा। संभावित निविदाकारों को अपनी निविदाएं तैयार करने हेतु संशोधनों/शुद्धिपत्रों को संज्ञान में लेने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने हेतु, बैंक स्वविवेक से निविदा प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
8	निविदा लागत	निविदाकार निविदा प्रलेखों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा। निविदा प्रक्रिया के संचालन अथवा परिणाम से निरपेक्ष, बैंक इन लागतों हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
9	निविदा में सम्मिलित दस्तावेज़	निविदा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: <ul style="list-style-type: none"> • निविदा आमंत्रण सूचना • तकनीकी बोली विवरण • वित्तीय बोली विवरण • एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से बयाना राशि जमा (ई.एम.डी.): आंतरिक एन.ई.एफ.टी. प्राप्ति खाता खाता संख्या: 186003001 आई.एफ.एस.सी.: RBISORNP01 (आई.एफ.एस.सी. में पंचम एवं दशम वर्ण 'शून्य' है)
10	निष्पादन गारंटी	अनुबंध प्रदान किए जाने के पश्चात सफल निविदाकारों द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। निविदाकार बिना किसी परिवर्तन के ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से श्रेणी 3 डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए निविदा प्रलेख ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा। समस्त रिक्त स्थानों को मांगी गई सूचना द्वारा भरा जाए
11	निविदादाता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज़	खंड II (कण्डिका 3) के अनुसार अनुबंध निष्पादन हेतु अपनी अर्हता सिद्ध करने के लिए, निविदाकार खंड VI (मानक प्रारूप) में निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रदान करेगा।
12	निविदा की वैधता अवधि	निविदा की वैधता अवधि निविदा प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि से 90 दिवस होगी। असाधारण परिस्थितियों में, निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व, बैंक निविदाकारों से उनकी निविदाओं की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। यह अनुरोध एवं प्रत्युत्तर लिखित रूप में होने चाहिए।
13	निविदा सुरक्षा के रूप में बयाना राशि	ई-निविदा में ऑनलाइन बोली हेतु पात्र होने के लिए निविदाकारों को आवश्यक बयाना राशि एवं लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि बैंक द्वारा लौटा दी जाएगी
14	निविदाओं का	इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकार ई-निविदा संबंधी निर्देशों में निर्दिष्ट

	प्रस्तुतिकरण, सीलबंदी एवं अंकन	इलेक्ट्रॉनिक ई-निविदा प्रस्तुतीकरण प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। निविदाकार तकनीकी बोली (भाग-I) एवं वित्तीय बोली (भाग-II) में संकेतित आवश्यक प्रलेखों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरे) ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्त सूचनाओं सहित ई-निविदा, निविदा के निर्धारित समय पर अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि वांछित / निर्धारित सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो निविदा की अस्वीकृति हेतु बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
15	निविदा प्रस्तुत करनी के अंतिम तिथि	निविदा इस प्रलेख में निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक अथवा उससे पूर्व, इसमें वर्णित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए। बैंक, निविदा प्रलेख में संशोधन करके, स्वविवेक से निविदा प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
16	देर से प्राप्त निविदा	समय-सीमा के पश्चात ई-पोर्टल पर कोई भी निविदा अनुमत नहीं होगी।
17	निविदा खोलना	बैंक अधिसूचित तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा।
18	गोपनीयता	निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित सूचना, संविदा प्रदान किए जाने की सूचना समस्त निविदाकारों को संप्रेषित किए जाने तक, निविदाकारों अथवा इस प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से असंबद्ध किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी।
19	निविदा स्पष्टीकरण	निविदाओं के परीक्षण, मूल्यांकन, तुलना एवं निविदाकारों की अर्हता निर्धारण में सहायता हेतु, बैंक स्वविवेक से किसी भी निविदाकार से उसकी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है और उत्तर हेतु उचित समय प्रदान कर सकता है। बैंक द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर के अतिरिक्त किसी निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण विचारणीय नहीं होगा। बैंक का स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध एवं उसका प्रत्युत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन के समय बैंक द्वारा चिन्हित अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि के अतिरिक्त, निविदा के मूल्यों अथवा मूल तत्वों में कोई भी परिवर्तन न तो मांगा जाएगा, न प्रस्तावित किया जाएगा और न ही अनुमत होगा। यदि कोई निविदाकार बैंक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
20	निविदा मूल्यांकन	बैंक इस निविदा के खंड IV में निर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंडों का प्रयोग करेगा।
21	निविदाकर्ता की पात्रता	बैंक यह निर्धारित करेगा कि क्या चयनित निविदाकार तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली में निहित अर्हता मानदंडों को पूर्ण करने में सक्षम है।
22	किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक / बैंक का अधिकार	बैंक के पास किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने तथा अनुबंध प्रदान करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके फलस्वरूप निविदाकारों के प्रति बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा और न ही बैंक इसका कारण बताने हेतु बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, सशर्त बोलियाँ पूर्णतः अस्वीकृत कर दी जाएँगी।
23	आवंटन का मानदंड	बैंक के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने तथा किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
24	आवंटन अधिसूचना	जब तक औपचारिक संविदा तैयार एवं निष्पादित नहीं हो जाती, तब तक अधिनिर्णय की अधिसूचना एक बाध्यकारी संविदा मानी जाएगी।

25	अनुबंध पर हस्ताक्षर	<p>सफल निविदाकार उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ अनुबंध निष्पादित करेगा। तथापि, बैंक द्वारा कार्य आदेश जारी किया जाना एक बाध्यकारी संविदा माना जाएगा, मानो ऐसा अनुबंध निष्पादित हो चुका हो और इस संविदा पर समस्त नियम एवं शर्तें लागू होंगी।</p> <p>सूचीकरण प्रारंभिक रूप से एक वर्ष (1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027) की अवधि हेतु होगा। तथापि, अभिकरण द्वारा कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन एवं अनुबंध की समस्त शर्तों के समुचित अनुपालन के अधीन, पारस्परिक सहमति से 31 मार्च, 2029 तक वार्षिक आधार पर अथवा अन्य लघु अवधियों हेतु संविदा का विस्तार किया जा सकता है। मुद्रांक शुल्क का वहन एवं भुगतान अभिकरण द्वारा किया जाएगा।</p>
26	निष्पादन सुरक्षा	<p>सफल निविदाकार संविदा के साथ 2,50,000/- रुपये (मात्र दो लाख पचास हजार रुपये) की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे। यह निष्पादन बैंक गारंटी संविदा अवधि की समाप्ति के पश्चात दो माह की अवधि तक वैध रहेगी। निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर ऐसे निविदाकारों की बयाना राशि लौटा दी जाएगी।</p> <p>बैंक द्वारा संविदा के नवीनीकरण की स्थिति में बैंक गारंटी को आगामी अवधि हेतु नवीनीकृत किया जाएगा। सफल निविदाकार द्वारा 2,50,000/- रुपये (मात्र दो लाख पचास हजार रुपये) की निष्पादन बैंक गारंटी जमा/प्रस्तुत करने अथवा संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफलता, अधिनिर्णय के विलोपन, बयाना राशि की जब्ती तथा बैंक की समस्त भविष्य की निविदाओं हेतु ऐसे निविदाकारों को काली सूची में डालने का पर्याप्त आधार होगी।</p> <p>निष्पादन बैंक गारंटी संविदा अवधि पूर्ण होने के दो माह पश्चात, संविदा के सफल समापन से संतुष्ट होने एवं अभिकरण अथवा उसके कर्मचारियों की ओर से कोई उत्तरदायित्व शेष न होने की सुनिश्चितता के उपरांत ही बिना ब्याज के मुक्त की जाएगी। किसी भी शिकायत अथवा लंबित देय राशि की स्थिति में, समस्त देयताओं, ऋणों आदि के भुगतान के पश्चात ही निष्पादन बैंक गारंटी को अवमुक्त किया जाएगा।</p> <p>बयाना राशि / प्रतिभूति निक्षेप / निष्पादन बैंक गारंटी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।</p>

खंड III: निविदा डेटा शीट

1	निविदा का दायरा
1.1	निविदा जारी करने वाला ऑफिस है: भारतीय रिज़र्व बैंक, पहली मंज़िल, ज़िला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड), 834001।
1.2	निविदा का नाम है: कार हायरिंग फर्म / एजेंसियों / कंपनियों का सूचीबद्ध निविदा संदर्भ संख्या RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/ HRMD/ 3/ 25-26/ ET/ 864 [Empanelment of Car Hiring Firm]
1.3	योग्य निविदाकर्ता: निविदाकर्ता को खंड II के पैरा नंबर 3 में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

निविदा दस्तावेज़

2	निविदा दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण, प्री-निविदा बैठक
2.1	केवल स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, पता: भारतीय रिज़र्व बैंक, पहली मंज़िल, ज़िला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड), 834001
2.2	संपर्क व्यक्ति (आरबीआई): श्री नितिन गौरव, प्रबंधक, ई-मेल आईडी: hrmdranchi@rbi.org.in , मोबाइल: 9455143206 श्री धर्मवीर सिंह, सहायक प्रबन्धक, ई-मेल आईडी: hrmdranchi@rbi.org.in , मोबाइल: 8850678743

3	निविदा में शामिल दस्तावेज़
3.1	निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:
क	निविदा के लिए नोटिस, बोली लगाने वालों के लिए निर्देश, मूल्यांकन मानदंड और कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य और खास शर्तें।
ख	टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के साथ-साथ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के लिए विभिन्न फॉर्मेट खंड VI (स्टैंडर्ड फॉर्मेट) के अनुसार

4	निविदाओं की वैधता अवधि
4.1	निविदा की वैलिडिटी पीरियड निविदा जमा करने की आखिरी तारीख से 90 दिन होगी।

5	ईएमडी / निविदा सिक्योरिटी के तौर पर बैंक गारंटी
5.1	निविदा देने वाले को NEFT के ज़रिए ₹ 1,00,000/- का EMD 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया राँची' के बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर: 186003001, IFSC: RBISORNPA01 ('0' दोनों जगहों पर ज़ीरो है) पर देना होगा।

6	निविदाओं का प्रस्तुतीकरण
6.1	निविदा, जो सभी तरह से पूरा हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सबमिट किया जाएगा। निविदा देने वाले "टेक्निकल बिड" में बताए गए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव दरें सबमिट कर सकते हैं।

7	निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि
7.1	ई-निविदा, जो सभी तरह से पूरे हों, उन्हें निम्नलिखित डेडलाइन के अनुसार सबमिट किया जाना चाहिए: तारीख: 9 फरवरी, 2026, शाम 15:00 बजे

8	निविदा खोलना - भाग I
8.1	निविदा का भाग I, निविदा सूचना में बताई गई तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। भाग- II खोलने की जानकारी अलग से दी जाएगी।

खंड iv: निविदा (टेंडर) के लिए तकनीकी बोली मूल्यांकन की प्रक्रिया और मानदंड

1.1 निविदाकारों को मानक प्रारूप के फॉर्म 1 के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के लिए जानकारी प्रस्तुत करनी होगी		
1.2 दी गई जानकारी का मूल्यांकन निम्नलिखित अंक मानदंडों (अधिकतम अंक - 100) के अनुसार किया जाएगा		
विवरण	Range and अंक	अधिकतम अंक
क. पात्रता मानदंडों के विनिर्देशों (खंड - II का पैरा 3) के अनुसार, अनुबंध वाहनों सहित, अच्छी तरह से रखरखाव की गई कारों के बेड़े का आकार	<ul style="list-style-type: none"> 15 - 24 - 5 अंक 25 - 50 - 10 अंक 51-100 - 15 अंक 	15
ख. किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अनुभव	<ul style="list-style-type: none"> 3 से 5 अंक - 10 अंक 5 साल से ज्यादा और 10 साल तक - 15 अंक 10 साल से अधिक - 20 अंक 	20
ग. वर्तमान समान सुविधाओं पर बोलीदाता द्वारा सेवा की गुणवत्ता, अन्य ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक	<ul style="list-style-type: none"> संतोषजनक - 5 अंक अच्छा - 10 अंक बहुत अच्छा - 15 अंक 	15
घ. पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 का औसत कारोबार	<ul style="list-style-type: none"> ₹ 40 लाख से ₹ 45 लाख - 5 अंक ₹ 45 lakh से ₹ 50 lakh - 10 अंक 50 lakh से अधिक - 15 अंक 	15
ङ. वर्तमान संस्थागत ग्राहकों की संख्या	<ul style="list-style-type: none"> 2 से 4 - 10 अंक 5 से 8 - 15 अंक 8 से अधिक - 20 अंक 	20
च. किसी विशेष ग्राहक के साथ लगातार वर्षों तक जुड़ाव	<ul style="list-style-type: none"> 1 से 3 साल - 5 अंक 3 से 5 साल - 10 अंक 5 साल से अधिक - 15 अंक 	15

निविदाकर्ताओं का कुल अंक

- 1.1 पैनल में शामिल करने के लिए विचार किए जाने हेतु न्यूनतम अर्हक अंक (कट-ऑफ मार्क्स) 60 अंक हैं ।
- 1.2 कुल अंकों में से 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले तकनीकी प्रस्तावों पर ही वित्तीय बोलियाँ खोलने के लिए विचार किया जाएगा।
- 1.3 चयनित विक्रेता (वेंडर) की वित्तीय बोली पर 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के अनुबंध हेतु विचार किया जाएगा ।

वित्तीय बोली का मूल्यांकन

- 2.1 तकनीकी मूल्यांकन के सफल निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत प्रत्येक श्रेणी के वाहन की न्यूनतम दरों के आधार पर बैंक द्वारा तैयार की गई किराया दर तालिका, लिखित स्वीकृति हेतु उनके साथ साझा की जाएगी।
- 2.2 वित्तीय बोली के लिए कोई भी नियम और शर्तें नहीं बताई जानी चाहिए, अन्यथा उसे अमान्य माना जाएगा।

भाग 2
अनुबंध की शर्तें
और
अनुबंध प्रपत्र

खंड V: अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तें

खंड V.1: अनुबंध की सामान्य शर्तें

1.1 निविदाकर्ता निविदा आमंत्रण में बैंक द्वारा बताए गए स्रोत से ही निविदा दस्तावेज प्राप्त करेगा; अन्यथा, बैंक निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं है।

2.1 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2.2 उद्धृत दरों के अंकों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर के मामले में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में लिखी गई दरों को ही माना जाएगा।

3.1 निविदाकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बोलियाँ जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और समझे।

3.2 निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी/ किसी भी जानकारी या दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा को खारिज किया जा सकता है।

4.1 उद्धृत मूल्य केवल भारतीय रुपये में होगा और वस्तु एवं सेवा कर (GST) को छोड़कर अन्य सभी लागू करों सहित होगा।

4.2 निविदाकर्ता को किसी भी वैधानिक कानून के उल्लंघन के लिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा अभियोजित नहीं किया गया होना चाहिए और न ही कोई दंड भुगतना पड़ा होना चाहिए। निविदाकर्ता को किसी भी संगठन द्वारा, जिसमें भारत में किसी भी स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक भी शामिल है, किसी भी आधार पर निलंबित, असूचीबद्ध, काली सूची में डाला गया या प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए और न ही उसके विरुद्ध ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू की गई होनी चाहिए (इस संबंध में लेटर हेड पर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी है)।

4.3 निविदाकर्ता ने अपने किसी भी **ग्राहक** द्वारा प्रदान किए गए किसी भी **अनुबंध** को उसकी निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व **निरस्त** न किया हो या **परित्यक्त** न छोड़ा हो। निविदाकर्ता अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी **विवादों** का विवरण देगा और उनकी वर्तमान स्थिति **प्रस्तुत** करेगा।

निविदा को अयोग्य घोषित करने/खारिज करने वाली स्थितियाँ

5.1 निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई भी प्रचार अथवा चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालना, प्रक्रिया से अयोग्य ठहराने का आधार बनेगा। ऐसे निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि ऐसे मामले चयन प्रक्रिया के दौरान पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन बाद में उनका पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पिछली तारीख से प्रभावी मानी जाएगी।

52 सभी निविदाएँ प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए तथा उनमें सभी आवश्यक संलग्नक/परिशिष्ट/अनुलग्नक सम्मिलित होने चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त निविदाएँ, अथवा उचित दस्तावेज़ी साक्ष्य के बिना प्राप्त बोलियाँ, आदि को बैंक द्वारा बिना किसी विचार-विमर्श के सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

53 निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त फैक्स, ई-मेल अथवा किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी तथा उन्हें बिना किसी विचार के तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

54 निर्धारित बयाना धनराशि (ईएमडी) / प्रसंस्करण शुल्क के बिना अथवा निर्धारित राशि से कम के साथ प्राप्त बोली प्रस्तावों को बिना किसी विचार के तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

55 निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं को बिना किसी विचार के तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

56 शर्तयुक्त निविदाओं को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा किसी भी अतिरिक्त शर्त/अनुच्छेद पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

57 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी निविदा में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और निविदाकर्ता द्वारा निविदा में निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच की अवधि के दौरान किसी भी निविदा को वापस नहीं लिया जा सकेगा। उक्त अवधि के दौरान निविदा वापस लेने की स्थिति में बयाना धनराशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

58 वैकल्पिक प्रस्ताव अथवा निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में विस्तार हेतु किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भुगतान की शर्तें

6.1 बैंक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों को छोड़कर, मासिक अंतराल पर प्राप्त पूर्ण एवं त्रुटिरहित बिलों का भुगतान ऐसे स्पष्ट एवं पूर्ण बिलों की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीस दिनों के भीतर किया जाएगा। बिल संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किए जा सकते हैं (प्रपत्र-IV देखें)।

(क) भारतीय विधानों के अनुसार लागू करों की राशि स्रोत पर कटौती की जाएगी तथा इसका प्रमाण-पत्र सेवा प्रदाता को जारी किया जाएगा।

(ख) जारी किया गया चालान/बिल क्रमांकित होना चाहिए तथा उसमें सेवा प्रदाता एवं सेवा प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता, प्रदान की गई सेवा का विवरण, उस पर देय करों का मूल्य आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान किए जाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ग) बैंक द्वारा बिलों पर भुगतान किए गए करों को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को जमा करना सेवा प्रदाता के लिए अनिवार्य एवं बाध्यकारी होगा।

6.2 सभी भुगतान केवल एनईएफटी/आरटीजीएस माध्यम से ही जारी किए जाएंगे, जिसके लिए आवश्यक बैंक खाता विवरण बैंक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.3 एजेंसी को प्राप्त भुगतान के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, तो भुगतान की तिथि से दस (10) दिनों के भीतर बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

6.4 वैधानिक करों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद पूरी की जाने वाली ज़रूरी शर्तें

7.1 सफल निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी निष्पादित की जाएगी।

7.2 सफल निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं एवं बैंक के मध्य अनुबंध न्यूनतम दरों की स्वीकृति की लिखित पुष्टि के माध्यम से संपादित किया जाएगा। अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। मूल प्रति बैंक के पास सुरक्षित रहेगी तथा द्वितीय प्रति सेवा प्रदाता को प्रदान की जाएगी। स्टाम्प शुल्क का वहन एवं भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

वैधानिक आवश्यकताओं का पालन

8.1 केंद्रीय सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम तथा राज्य एवं केंद्र सरकार के अंतर्गत समय-समय पर लागू श्रम लाइसेंस सहित सभी वैधानिक नियमों एवं अधिनियमों का अनुपालन पूर्णतः एवं संपूर्ण रूप से एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में एजेंसी बैंक को सभी प्रकार के दावों, क्षतियों अथवा देयताओं से पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी तथा विधि एवं सरकारी नियमों के अनुसार अनिवार्य सभी अभिलेख, लॉग, रजिस्टर, सत्यापन विवरण, विवरणियाँ, रसीदें, कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस आदि का संधारण करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सरकारी अधिकारी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आदि को निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, वैधानिक प्राधिकरणों को किए गए सभी अनुपालनों, विवरणियों एवं भुगतानों की प्रतिलिपि, पंजीकरण संख्या सहित, बैंक प्राधिकरण को सत्यापन एवं अभिलेख हेतु मांग किए जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम

9.1 एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण एवं समुचित अनुपालन के लिए पूर्णतः और एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगी। एजेंसी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, बैंक के परिसर, बैंक द्वारा किराए पर लिए गए परिसर अथवा किराए पर लिए गए वाहन में, वाहन के उपयोग/किराये की अवधि के दौरान, बैंक/बैंक के कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में, ऐसी शिकायत निविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा निविदाकर्ता/एजेंसी उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। निविदाकर्ता/एजेंसी इस उद्देश्य के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन की पुष्टि करेगी। एजेंसी के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई लैंगिक उत्पीड़न संबंधी किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

9.2 एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण एवं समुचित अनुपालन के लिए पूर्णतः और एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगी। एजेंसी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, बैंक के परिसर, बैंक द्वारा किराए पर लिए गए परिसर अथवा किराए पर लिए गए वाहन में, वाहन के उपयोग/किराये की अवधि के दौरान, बैंक/बैंक के कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में, ऐसी शिकायत निविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा निविदाकर्ता/एजेंसी उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। निविदाकर्ता/एजेंसी इस उद्देश्य के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन की पुष्टि करेगी। एजेंसी के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई लैंगिक उत्पीड़न संबंधी किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

9.3 निविदाकर्ता के कर्मचारियों से संबंधित किसी घटना की स्थिति में देय किसी भी प्रकार के मौद्रिक प्रतिकर/क्षतिपूर्ति के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी। उदाहरणार्थ, यदि निविदाकर्ता के किसी कर्मचारी द्वारा किए गए लैंगिक उत्पीड़न/हिंसा के आरोप सिद्ध होने की स्थिति में बैंक के किसी कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत देय होती है, तो उसका वहन पूर्णतः एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

9.4 एजेंसी अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम तथा उससे संबंधित विषयों के संबंध में जागरूक करने एवं प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होगी।

बैंक के अधिकार

10.1 बैंक निविदा की वैधता अवधि तथा/अथवा बोलियों के उद्घाटन की तिथि में विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10.2 बैंक किसी भी अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या किसी भी प्रकार की देयता के बिना तथा कारण बताए बिना निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10.3 बैंक बिना किसी कारण बताए कार्य के दायरे को एक से अधिक एजेंसियों के मध्य विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस आधार पर किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.4 यहाँ निर्दिष्ट नियम एवं शर्तें संकेतात्मक प्रकृति की हैं तथा ये बैंक को इस बात से प्रतिबंधित नहीं करेंगी कि वह सफल निविदाकर्ता के साथ अनुबंध निष्पादन के समय किसी अतिरिक्त अथवा अन्य नियम एवं शर्तों को लागू करे या निविदाकर्ता से उनकी स्वीकृति प्राप्त करे, अथवा इस निविदा में निहित नियम एवं शर्तों में से किसी को कार्य के समुचित एवं विधिवत निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार परिवर्तित, संशोधित या विलोपित करे।

10.5 सेवा प्रदाता अथवा उसके अभिकर्ताओं/कर्मचारियों/चालकों द्वारा यहाँ उल्लिखित नियम एवं शर्तों का कोई भी उल्लंघन किए जाने तथा/अथवा बैंक की राय में असंतोषजनक सेवाएँ प्रदान किए जाने की स्थिति में, सेवा प्रदाता दंड के लिए उत्तरदायी होगा और/या बिना किसी पूर्व सूचना अथवा उसके बदले किसी भी प्रकार के मुआवज़े के बिना अनुबंध को तत्काल समाप्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

10.6 उपरोक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

विवाद समाधान

11.1 यह विधिवत् संज्ञान में लिया जाए कि इस निविदा की नियम एवं शर्तों से संबंधित किसी भी/सभी विवाद की स्थिति में (यदि निविदा अंग्रेज़ी तथा किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की गई हो), निविदा दस्तावेज़ का अंग्रेज़ी संस्करण ही प्रामाणिक एवं प्रभावी माना जाएगा।

11.2 अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सभी विवादों एवं मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ, अर्थात् क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची, को संदर्भित किया जाएगा तथा उनके द्वारा लिखित रूप में दिया गया निर्णय सेवा प्रदाता के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। तथापि, ऐसे किसी भी विवाद/मुद्दे के संबंध में, जिसका निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से नहीं हो पाता है, केवल राँची का न्यायिक क्षेत्राधिकार ही लागू होगा। किसी भी कानूनी विवाद के निपटान हेतु वैकल्पिक समाधान विधियों का उपयोग केवल पारस्परिक सहमति से ही किया जा सकेगा।

अप्रत्याशित घटना

12 इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, यदि किसी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में विलंब ऐसे कारणों से होता है जो उसके युक्तिसंगत नियंत्रण से परे हों, तो ऐसे विलंब के लिए कोई भी पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे कारणों में, सीमित न होते हुए, सरकार के कृत्य, ईश्वरीय आपदाएँ, प्राकृतिक अथवा सामाजिक आपदाएँ, हड़तालें, किसी भी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमले तथा युद्ध (घोषित अथवा अघोषित) आदि शामिल होंगे। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विलंब कर रहे पक्ष के आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया कोई भी विलंब, उस पक्ष को विलंब के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ ऐसा विलंब संबंधित आपूर्तिकर्ता के युक्तिसंगत नियंत्रण से परे हो।

अस्वीकरण

13.1 यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय समुचित सावधानी बरती गई है, तथापि निविदाकर्ता स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि यह दस्तावेज़ सभी दृष्टियों से पूर्ण है। किसी भी प्रकार की विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जानी चाहिए। यदि निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी दृष्टियों से पूर्ण है।

13.2 बैंक इस दस्तावेज़ में, इसमें सम्मिलित सभी प्रारूपों एवं परिशिष्टों सहित, संशोधन, परिवर्तन अथवा पूरक जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यद्यपि यह दस्तावेज़ सन्द्भावना के साथ तैयार किया गया है, तथापि बैंक अथवा उसके किसी भी कर्मचारी या सलाहकार द्वारा इसमें निहित किसी कथन अथवा किसी चूक के संबंध में, या इसमें दी गई सूचना की शुद्धता, पूर्णता अथवा विश्वसनीयता के संबंध में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई अभ्यRepresentation अथवा वारंटी नहीं दी जाती है और न ही इसके लिए कोई उत्तरदायित्व या दायित्व स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक अथवा उसके कर्मचारी या सलाहकार, किसी भी क़ानून, अधिनियम, नियम अथवा विनियम के अंतर्गत, इस दस्तावेज़ की शुद्धता, विश्वसनीयता अथवा पूर्णता के संबंध में किसी भी प्रकार के दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, भले ही उनके किसी कृत्य या चूक के कारण कोई हानि अथवा क्षति क्यों न उत्पन्न हुई हो।

गोपनीयता कथन

14.1 इस निविदा दस्तावेज़ में निहित अथवा इसके पश्चात निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं को बैंक द्वारा या उसकी ओर से, अथवा बैंक के किसी भी कर्मचारी द्वारा, मौखिक या दस्तावेज़ी रूप में प्रदान की गई समस्त जानकारी, इस निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित नियम एवं शर्तों तथा उन सभी अन्य नियम एवं शर्तों के अधीन होगी, जिनके अंतर्गत ऐसी जानकारी प्रदान की गई है।

14.2 इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं को उनके प्रस्तावों के निर्माण में सहायता हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना है।

14.3 यह निविदा दस्तावेज़ प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक समस्त जानकारी को समाहित करने का दावा नहीं करता है।

14.4 यह निविदा दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो, यह आवश्यक नहीं है, तथा इस दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति एवं विशिष्ट आवश्यकताओं पर बैंक और/या उसके कर्मचारियों द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं है।

14.5 प्रत्येक निविदाकर्ता को स्वयं आवश्यक जाँच एवं विश्लेषण करना चाहिए तथा इस निविदा दस्तावेज़ में दी गई जानकारी की शुद्धता, विश्वसनीयता एवं पूर्णता की पुष्टि करनी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र परामर्श प्राप्त करना चाहिए।

14.6 बैंक तथा उसके कर्मचारी इस निविदा दस्तावेज़ की शुद्धता, विश्वसनीयता अथवा पूर्णता के संबंध में कोई अभ्यRepresentation अथवा वारंटी प्रदान नहीं करते हैं और किसी भी क़ानून, अधिनियम, नियम अथवा विनियम के अंतर्गत इसके लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेंगे।

14.7 यह दस्तावेज़ तथा इसमें निहित जानकारी गोपनीय है और इसका उपयोग केवल निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं के लिए ही अभिप्रेत है।

बीमा

15.1 सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध अवधि के लिए अपने सभी वाहनों हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए, अनुबंध मूल्य के अनुरूप, “वाणिज्यिक वाहन बीमा पॉलिसी” कराई जाएगी, जिसे बैंक द्वारा अनुबंध का नवीकरण किए जाने की स्थिति में आगे नवीकृत किया जाएगा। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, भवन अथवा तृतीय पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए एजेंसी बैंक को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। यदि एजेंसी उक्त बीमा पॉलिसियाँ उपलब्ध कराने में विफल रहती है, तो बैंक को एजेंसी के बिलों से ऐसी किसी भी हानि या क्षति की लागत की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दर

16.1 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरें तथा बैंक द्वारा उनकी स्वीकृति, एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी। तत्पश्चात, अनुबंध के नवीकरण के समय, नवीकरण के समय विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर, जैसे कि श्रम कानूनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा ईंधन मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाला कोई सरकारी निर्णय आदि होने की स्थिति में, इन दरों की समीक्षा की जा सकती है। तथापि, ऐसी समीक्षा केवल क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची की अनुमति से ही की जा सकेगी।

गैर-प्रकटीकरण

17.1 एजेंसी इस अनुबंध के अंतर्गत अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान उसके पास आने वाली अथवा उसके संज्ञान में आने वाली बैंक की संरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, सामग्री अथवा विवरण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगी तथा ऐसी समस्त जानकारी को हर समय अत्यंत गोपनीय रखेगी। एजेंसी अनुबंध से संबंधित समस्त विवरणों को निजी एवं गोपनीय रखेगी; तथापि, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन अथवा लागू विधानों के अनुपालन हेतु आवश्यक होने पर ही ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण किया जा सकेगा। बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना एजेंसी किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका अथवा किसी अन्य माध्यम में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का विवरण प्रकाशित नहीं करेगी, न ही प्रकाशित किए जाने की अनुमति देगी और न ही उसका प्रकटीकरण करेगी। गोपनीय जानकारी के किसी भी प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता/बैंक को होने वाली किसी भी हानि के लिए एजेंसी बैंक को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। उपरोक्त प्रावधानों का पालन न किया जाना एजेंसी की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा विधिक उपचार अपनाने का अधिकार रखेगा। एजेंसी यह सुनिश्चित करने हेतु अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी आवश्यक एवं उपयुक्त कदम उठाएगी कि इस अनुबंध के अंतर्गत गोपनीय जानकारी के अप्रकटीकरण से संबंधित दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। गोपनीयता एवं अप्रकटीकरण से संबंधित एजेंसी के दायित्व, किसी भी कारण से इस अनुबंध की अवधि समाप्त होने अथवा इसके निरस्त किए जाने के पश्चात भी प्रभावी बने

रहेंगे।

विक्रेता की दिवालियापन अथवा मृत्यु:

18.1 यदि विक्रेता को दिवालिया घोषित किया जाता है अथवा वह स्वेच्छा से परिसमापन में जाता है, अथवा उसके विरुद्ध दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया जाता है, अथवा यदि विक्रेता एक कंपनी है और उसके परिसमापन (स्वैच्छिक या अन्यथा) हेतु कोई संकल्प पारित किया जाता है या आदेश दिया जाता है, अथवा यदि विक्रेता यहाँ निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा। विक्रेता की मृत्यु की स्थिति में, उसके उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, विक्रेता के कर्तव्यों अथवा इस अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन जारी रखने के अधिकारी नहीं होंगे। यदि विक्रेता, बैंक की उपर्युक्त लिखित स्वीकृति से, अपना व्यवसाय हस्तांतरित करता है, अथवा यदि विक्रेता एक कंपनी है और इस अनुबंध की अवधि के दौरान उसका परिसमापन इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसका व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित किया जाए, तो विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति एवं व्यवसाय के हस्तांतरण से संबंधित अनुबंध की शर्तों में यह प्रावधान सम्मिलित हो कि ऐसा अन्य व्यक्ति या कंपनी इस अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी तथा उनसे बँधी रहेगी। मृत्यु अथवा अन्य संबंधित तथ्यों के प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेज़ बैंक को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अनुबंध के अंतर्गत निहित किसी भी अधिकार अथवा उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि विक्रेता एक एकल स्वामित्व (Sole Proprietorship) प्रतिष्ठान है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बैंक को उसके विधिक उत्तराधिकारियों को कोई मुआवज़ा दिए बिना अनुबंध समाप्त करने का विकल्प प्राप्त होगा, और ऐसा किया जाना अनुबंध का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

खंड V.2: अनुबंध की विशिष्ट शर्तें

1	<p>1.1 चयनित निविदाकर्ता/निविदाकर्ताओं द्वारा बैंक अथवा बैंक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर, आवश्यकता अनुसार, वातानुकूलित वाहन जैसे कार/एसयूवी/एमयूवी आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।</p> <p>1.2 सेवा प्रदाता बैंक की आवश्यकता के अनुसार वैध टैक्सी परमिट युक्त विभिन्न श्रेणियों के पर्याप्त वाहन उपलब्ध कराएगा, जैसे कि छोटी श्रेणी की सेडान (स्विफ्ट डिज़ायर, टोयोटा इटियोस, लिवा आदि), सेडान (हुंडई वर्ना, होंडा सिटी), टोयोटा कोरोला आल्टिस, टोयोटा कैमरी, इनोवा/इनोवा क्रिस्टा तथा अन्य वाहन।</p>
2	<p>2.1 बैंक को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी वाहनों के पास स्थानीय क्षेत्र में तथा संपूर्ण भारत में परिचालन हेतु वैध परमिट होना चाहिए तथा सभी अन्य वैधानिक अनुपालनों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।</p> <p>2.2 सभी वाहन उत्तम एवं सुचारु अवस्था में होने चाहिए तथा उनकी सीटें एवं आंतरिक सज्जा स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित होनी चाहिए।</p> <p>कोविड-19 संबंधी सावधानियाँ: सभी वाहनों का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए तथा यात्रा के दौरान चालक द्वारा हर समय मास्क पहनना और कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंक का अधिकृत अधिकारी सैनिटाइजेशन की पुष्टि हेतु वाहन का आकस्मिक निरीक्षण/जाँच कर सकता है। किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में, बैंक को संबंधित यात्रा के बिल की राशि के बराबर दंड आरोपित करने तथा उक्त राशि को निविदाकर्ता को देय बकाया से अथवा सुरक्षा जमा से समायोजित/वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।</p>
3	<p>3.1 चालक के पास वैध वाहन चालन अनुज्ञापत्र (ड्राइविंग लाइसेंस) होना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा। वाहन चालन अनुज्ञापत्र का समय-समय पर नवीकरण कराना सेवा प्रदाता की पूर्ण एवं एकमात्र जिम्मेदारी होगी। तैनात किए जाने वाले चालकों के पास यथोचित अनुभव तथा अच्छा ड्राइविंग रिकॉर्ड होना चाहिए; वे हर समय शिष्ट, विनम्र, सभ्य एवं सेवा-उन्मुख हों तथा हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में संवाद करने में सक्षम हों। आवश्यकता होने पर चालक अतिथि को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएगा।</p> <p>3.2 यदि बैंक अथवा किसी उपयोगकर्ता द्वारा किसी चालक के दुराचार/अशिष्ट व्यवहार/अस्वीकार्य आचरण के संबंध में शिकायत की जाती है, तो सेवा प्रदाता ऐसे चालक को तत्काल हटाकर उसके स्थान पर अन्य चालक की तैनाती सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में उक्त चालक की सेवाएँ बैंक को उपलब्ध न कराई जाएँ। तैनात किए जाने वाले सभी चालक चिकित्सकीय रूप से सक्षम एवं अच्छे नैतिक चरित्र वाले होने चाहिए। बैंक को सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रतिनियुक्त चालकों का चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>3.3 चालकों को निर्धारित समय पर, स्वच्छ वर्दी पहनकर, सुसज्जित रूप में ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वे यात्रा के दौरान वाहन की छोटी-मोटी मरम्मत करने में सक्षम होने चाहिए। चालकों द्वारा प्रतिदिन वाहन की चली हुई दूरी (माइलेज) का उचित अभिलेख संधारित किया जाएगा तथा उसे उपयोगकर्ता (अधिकारी/कर्मचारी/अतिथि) से प्रमाणित कराया जाएगा। यदि किसी भी कारणवश बैंक को उपलब्ध कराए गए वाहन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो सेवा प्रदाता के कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाएगा और सेवा प्रदाता बैंक की माँग पर बिना किसी विलंब के वाहन को बदलने के लिए सहमत होगा। यदि किसी कारण से सेवा प्रदाता बैंक की माँग के अनुसार उपयुक्त वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो बैंक खुले बाजार से वाहन की व्यवस्था करने के लिए</p>

	<p>स्वतंत्र होगा तथा इस पर होने वाले व्यय की वसूली सेवा प्रदाता को देय दावों से करेगा। चालकों द्वारा ड्यूटी स्लिप संधारित की जाएँगी, जिनमें चली हुई कुल दूरी (किलोमीटर), ड्यूटी समाप्ति का समय आदि का पूर्ण विवरण अंकित होगा तथा संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर से विधिवत प्रमाणित किया जाएगा (बिल प्रारूप – प्रपत्र-IV देखें)।</p> <p>3.4 चालकों को निर्धारित समय पर, स्वच्छ वर्दी पहनकर, सुसज्जित रूप में ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वे यात्रा के दौरान वाहन की छोटी-मोटी मरम्मत करने में सक्षम होने चाहिए। चालकों द्वारा प्रतिदिन वाहन की चली हुई दूरी (माइलेज) का उचित अभिलेख संधारित किया जाएगा तथा उसे उपयोगकर्ता (अधिकारी/कर्मचारी/अतिथि) से प्रमाणित कराया जाएगा। यदि किसी भी कारणवश बैंक को उपलब्ध कराए गए वाहन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो सेवा प्रदाता के कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाएगा और सेवा प्रदाता बैंक की माँग पर बिना किसी विलंब के वाहन को बदलने के लिए सहमत होगा। यदि किसी कारण से सेवा प्रदाता बैंक की माँग के अनुसार उपयुक्त वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो बैंक खुले बाजार से वाहन की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस पर होने वाले व्यय की वसूली सेवा प्रदाता को देय दावों से करेगा। चालकों द्वारा ड्यूटी स्लिप संधारित की जाएँगी, जिनमें चली हुई कुल दूरी (किलोमीटर), ड्यूटी समाप्ति का समय आदि का पूर्ण विवरण अंकित होगा तथा संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर से विधिवत प्रमाणित किया जाएगा (बिल प्रारूप – प्रपत्र-IV देखें)।</p> <p>3.5 सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित चालक/कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/सुरक्षा गार्डों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे तथा आवश्यकता होने पर वाहनों/व्यक्तियों को सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा।</p> <p>3.6 चालक वाहन के खड़े किए गए स्थान पर हर समय उपलब्ध रहेगा तथा सभी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करेगा।</p> <p>3.7 चालक हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन आदि पर आगमन करने वाले अतिथि/अधिकारी का विवरण अंकित एक प्लेकार्ड अपने साथ रखेगा। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अतिथियों की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे।</p> <p>चालक बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे तथा सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित सभी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेंगे। “अस्वीकार्य व्यवहार” से आशय निम्नलिखित में से किसी भी आचरण से है, अर्थात्— सीट-बेल्ट न पहनना; वाहन के दरवाज़े स्वयं खोलना या बंद करना (यह कार्य चालक द्वारा किया जाना अनिवार्य है); वाहन की खिड़की से बाहर झुकना; निर्धारित अधिकतम यात्रियों की संख्या से अधिक यात्रियों को ले जाना; वाहन के भीतर धूम्रपान करना अथवा पान/तंबाकू का सेवन करना; शराब के प्रभाव में होना अथवा किसी भी अवैध/नशीले पदार्थ के प्रभाव में होना या उसका कब्ज़ा रखना; अभद्र, हिंसक, आक्रामक व्यवहार करना; स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए खतरा या संभावित खतरा उत्पन्न करना; उपद्रवी व्यवहार करना; अथवा किसी भी प्रकार से यात्रा के लिए अनुपयुक्त अवस्था में होना।</p>
--	---

4	<p>4.1 वाहन बुक किए जाने की अवधि के दौरान, प्रत्येक दिन वाहनों में दो ब्रांडेड (जैसे बिसलेरी, किनले, एक्काफ़िना, हिमालय आदि) 500 मि.ली. की मिनरल वाटर की बोतलें, फेस टिश्यू पेपर (पाउच में), प्राथमिक उपचार किट, यूनिवर्सल मोबाइल चार्जर, अग्निशामक यंत्र, फेस मास्क, सैनिटाइज़र, दस्ताने तथा दो समाचार-पत्र (एक अंग्रेज़ी एवं एक हिंदी अथवा वित्तीय/आर्थिक समाचार-पत्र) उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उक्त सुविधाओं एवं उपयोगिताओं के लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की वाहन में अनुपलब्धता की स्थिति में दंड आरोपित किया जा सकता है।</p> <p>4.2 प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज़, जैसे समग्र बीमा, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, रोड टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी), परमिट, वैध वाहन चालन अनुज्ञापत्र आदि, प्रत्येक वाहन में अथवा चालक के पास हर समय उपलब्ध होने चाहिए।</p> <p>4.3 सेवा प्रदाता को बैंक को उपलब्ध कराए गए किसी भी वाहन के खराब हो जाने (ब्रेकडाउन) की स्थिति में आपातकालीन परिवहन/पर्यटन सुविधा की व्यवस्था करने में सक्षम होना चाहिए तथा ऐसी स्थिति में आपात परिवहन/पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित सरकारी एजेंसियों/बीमा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वाहन के खराब हो जाने की स्थिति में सेवा प्रदाता द्वारा तत्काल वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी।</p>
5	<p>5.1 सेवा प्रदाता के पास 24x7 ग्राहक सेवा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें त्वरित एवं सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र हो। सेवा प्रदाता वाहन बुकिंग एवं शिकायतों के निवारण हेतु, एस्केलेशन मैट्रिक्स सहित, बैंक को पर्याप्त संपर्क नंबर/ई-मेल आईडी उपलब्ध कराएगा। सेवा प्रदाता बैंक के साथ दैनिक आधार पर समन्वय हेतु अनुभवी कर्मचारियों/अधिकारियों को नामित करेगा। ऐसे नामित अधिकारी/व्यक्ति का संपर्क विवरण इस अनुबंध के निष्पादन के समय बैंक को प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाता बैंक द्वारा की जाने वाली किसी भी समूह बुकिंग (एक बुकिंग में 5 या अधिक वाहनों की आवश्यकता अथवा बहु-दिवसीय बुकिंग) के समन्वय हेतु अपने किसी कर्मचारी/कर्मचारियों को "समन्वयक" के रूप में प्रतिनियुक्त करेगा/करेगा। उक्त समन्वयक संबंधित बुकिंग/बुकिंगों के लिए बैंक की वाहन आवश्यकताओं के सुचारु संचालन हेतु सेवा प्रदाता की ओर से उत्तरदायी होगा।</p> <p>5.2 सेवा प्रदाता बैंक द्वारा लिखित अथवा मौखिक (फोन/ई-मेल के माध्यम से) दिए गए निर्देशों के अनुसार, उनमें निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर वाहन उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाता को बैंक द्वारा अल्प सूचना पर भी (आपात स्थिति में, उदाहरणार्थ एक घंटे के भीतर) वाहन उपलब्ध कराना होगा।</p> <p>5.3 सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए वाहन सुव्यवस्थित रूप से अनुरक्षित हों, उनमें किसी प्रकार के डेंट/खरोंच न हों तथा वे अत्यधिक पुराने न हों। उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन का कुल चलित माइलेज 1,00,000 किलोमीटर से कम होना चाहिए।</p> <p>5.4 सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए वाहन विधिवत पंजीकृत हों तथा समय-समय पर संशोधित मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हों।</p> <p>5.5 सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित व्यक्तियों/चालकों के पूर्ववृत्त (आचरण) के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी।</p> <p>5.5 सेवा प्रदाता द्वारा वाहन बुकिंग की पुष्टि अनिवार्य रूप से ई-मेल के माध्यम से बैंक के प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा संबंधित अतिथि को भेजी जाएगी। इसके उपरांत, निर्धारित अनुरोध समय से कम से कम चार घंटे पूर्व वाहन का विवरण, अर्थात् वाहन का मॉडल, वाहन का पंजीकरण संख्या, चालक का नाम एवं उसका मोबाइल नंबर, एसएमएस के माध्यम से</p>

	प्रेषित किया जाएगा।
6	<p>6.1 हवाई अड्डा ड्रॉप/पिक-अप तथा रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिक-अप के लिए केवल परिशिष्ट "क" में निर्दिष्ट निश्चित राशि का ही भुगतान किया जाएगा। पार्किंग शुल्क वास्तविक व्यय के अनुसार पृथक रूप से देय होगा। हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन पर एक से अधिक निकास बिंदु/गेट होने की स्थिति में, चालक उड़ान के उतरने/ट्रेन के आगमन के पश्चात संबंधित अतिथि को अपने उपस्थित रहने वाले विशिष्ट निकास बिंदु/गेट की सूचना देगा। इसके अतिरिक्त, चालक उपयोगकर्ता से संपर्क स्थापित करने हेतु स्वयं फोन कॉल करेगा और पिक-अप स्थान पर अपनी उपस्थिति की जानकारी देगा; उपयोगकर्ता द्वारा संपर्क किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करेगा।</p> <p>6.2 गैरेज तथा पिक-अप/ड्रॉप बिंदु के संबंध में दावा की जा सकने वाली अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर (दोनों ओर सम्मिलित) तक सीमित रहेगी तथा गैरेज से पिक-अप, पिक-अप से ड्रॉप और ड्रॉप से पुनः गैरेज तक की कुल अवधि 60 मिनट से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान हवाई अड्डा पिक-अप/ड्रॉप के मामलों में लागू नहीं होगा, जहाँ केवल निर्धारित निश्चित राशि का ही भुगतान किया जाएगा।</p> <p>6.3 स्थानीय परिचालन (लोकल रन) के लिए शुल्क अधिकतम 250 किलोमीटर तक ही देय होगा। 250 किलोमीटर से अधिक दूरी होने की स्थिति में आउटस्टेशन शुल्क लागू होगा। आउटस्टेशन सेडान, एसयूवी आदि वाहनों के लिए, आवश्यकता होने पर, प्रतिदिन औसतन 250 किलोमीटर का परिचालन अपेक्षित होगा।</p> <p>6.4 आउटस्टेशन यात्राओं के लिए टोल एवं पार्किंग शुल्क मूल रसीद प्रस्तुत किए जाने पर अतिरिक्त रूप से देय होंगे। एजेंसी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वचालित टोल भुगतान हेतु फास्टैग में पंजीकृत होना चाहिए। सभी आउटस्टेशन वाहनों में फास्टैग की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।</p> <p>6.5 सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति सेवा प्रदाता के ही कर्मचारी होंगे और न तो सेवा प्रदाता तथा न ही उसके चालक/कर्मचारी बैंक/बैंक में किसी भी प्रकार की नियुक्ति या रोजगार का कोई दावा करने के अधिकारी होंगे।</p> <p>6.6 यदि सेवा प्रदाता अपनी ओर से बैंक द्वारा अनुरोधित वाहन से उच्च श्रेणी/मॉडल का कोई अन्य वाहन उपलब्ध कराता है, तो भी भुगतान बैंक द्वारा अनुरोधित वाहन के लिए स्वीकृत दरों के अनुसार ही किया जाएगा।</p> <p>6.7 बैंक द्वारा स्वीकृत दरें एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी, तथापि अनुबंध के नवीकरण के समय श्रम कानूनों/ईंधन मूल्यों में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इनकी समीक्षा की जा सकती है। दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा।</p> <p>6.8 सेवा प्रदाता राँची के भीतर किसी भी अन्य स्थान से/पर आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध कराएगा।</p>
7	<p>7.1 अनुबंध की अवधि के दौरान किराये पर लिए गए वाहनों के उपयोग के कारण किसी भी तृतीय पक्ष (व्यक्तियों या भवन आदि) तथा/अथवा बैंक के अधिकारियों/अतिथियों/संपत्ति को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए सेवा प्रदाता बैंक को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। बैंक को ऐसी किसी भी हानि और/या क्षति की राशि की वसूली सेवा प्रदाता के बिलों अथवा उसकी निष्पादन बैंक गारंटी से करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।</p>

8	<p>8.1 बैंक द्वारा आवश्यकता अनुसार, देर रात्रि/प्रातःकाल सहित, जब भी वाहन की मांग की जाए, वाहन उपलब्ध कराना सेवा प्रदाता की पूर्ण एवं एकमात्र जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार की देरी की स्थिति में बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर दंड आरोपित किया जाएगा।</p> <p>8.2 सेवा में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति में, अथवा वाहन बुकिंग की पुष्टि बैंक/अतिथि को सूचित किए जाने के पश्चात भी वैकल्पिक वाहन उपलब्ध न कराए जाने तथा सेवा प्रदाता द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने की स्थिति में, प्रतिदिन के अनुपातिक देय राशि का दोगुना अथवा बैंक अथवा उसके अधिकारी/अतिथि द्वारा वहन किए गए वास्तविक व्यय—जो भी अधिक हो—बिलों से कटौती की जाएगी। यदि दिन के किसी भी भाग के लिए सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उस दिन के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा।</p> <p>8.3 उपरोक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वाहन(नों) के खराब हो जाने (ब्रेकडाउन) की स्थिति में सेवा प्रदाता द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था करने में विफल रहने की स्थिति में, उपर्युक्त सीमा के अधीन, इस संबंध में हुए समस्त व्ययों की क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। बैंक को उक्त राशि को सेवा प्रदाता को देय किसी भी बिल से काटने का अधिकार होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय सेवा प्रदाता के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ड्यूटी के दौरान वाहन के खराब हो जाने अथवा निर्धारित समय पर चालक द्वारा वाहन सहित उपस्थित न होने की स्थिति में भी उपर्युक्तानुसार दंड आरोपित किया जाएगा।</p> <p>8.4 यदि वाहन किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो उस दिन के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा।</p> <p>8.5 यदि वाहन में उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध नहीं पाई जाती हैं, तो प्रति यात्रा ₹500/- की राशि बिल से काटी जाएगी।</p> <p>8.6 यदि सेवा प्रदाता बैंक के अनुरोध (चाहे फोन पर मौखिक हो अथवा लिखित) पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो बैंक उपयुक्त समझे जाने पर दंडात्मक एवं अन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।</p> <p>8.7 बैंक द्वारा दंड आरोपित करने से पूर्व एजेंसी को युक्तिसंगत अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी विवाद की स्थिति में, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के समक्ष अपील की जा सकती है, जिनका निर्णय इस विषय में अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।</p>
9	<p>9.1 इस अनुबंध की अन्य शर्तों के अधीन, बैंक एतद् द्वारा सेवा प्रदाता/सेवा प्रदाताओं के साथ 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए, परिशिष्ट "क" में उल्लिखित दरों के अनुसार, किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध संपादित करता है। तथापि, एजेंसी द्वारा दायित्वों के संतोषजनक निष्पादन एवं इस अनुबंध की सभी नियम एवं शर्तों के समुचित अनुपालन की स्थिति में, तथा परस्पर सहमति से निर्धारित दरों पर, इस अनुबंध की अवधि को वार्षिक आधार पर अथवा अन्य अल्प अवधि के लिए 31 मार्च 2029 तक बढ़ाया जा सकता है। सेवा प्रदाता बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अतिथियों को वाहन उपलब्ध कराते समय उपर्युक्त वर्णित व्यापक कार्य-क्षेत्र एवं दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए सहमत होगा।</p>

खंड VI: मानक प्रारूप

फ़ॉर्म 1	तकनीकी बोली का विवरण
फ़ॉर्म 2	वित्तीय बोली का
फ़ॉर्म 3	प्रपत्र
फ़ॉर्म 4	प्रदर्शन बैंक गारंटी

फॉर्म 1

भाग I - तकनीकी बोली

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता :

संपर्क करने का नंबर : _____

निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बोली

(आवेदक के लेटर हेड पर दिया जाना है)

निविदाकर्ता का नाम:

पता:

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण
1.	संस्था का नाम	
2.	क) संस्था का प्रकार - (चाहे प्रोपराइटरशिप/ पार्टनरशिप/ एलएलपी/ प्राइवेट लिमिटेड/ लिमिटेड कंपनी)। ख) स्थापना की तिथि ग) पंजीकरण (फर्म, कंपनी, आदि), पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या, आदि का विवरण (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं) कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें।	
3.	पदनाम के साथ संस्था के मालिक/भागीदार/निदेशकों का नाम।	
4.	टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर के साथ संस्था का पंजीकृत कार्यालय/व्यावसायिक पता और ई-मेल। क) राँची में अपना कार्यालय है या नहीं ख) राँची में स्थानीय कार्यालय का पता ग) क्या झारखंड के किसी अन्य महत्वपूर्ण शहर में अपना ऑफिस है? (यदि हाँ, तो उसका विवरण दें) घ) प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर। कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें।	
5.	कार्य अनुभव - पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों में आवश्यकता के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण <u>अनुलग्नक - 1A</u> के अनुसार कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाण पत्र किसी भी केंद्र या सरकारी/ अर्ध-सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ बैंकों/ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार/ टैक्सी किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।	
6.	क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 का औसत वार्षिक व्यावसायिक कारोबार 50 लाख रुपये है? (सहायक दस्तावेजों को टर्नओवर के प्रमाण में संलग्न किया जाना है) ।	
7.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के आयकर रिटर्न (स्व-सत्यापित प्रति जमा की जानी है)	

8.	क्या ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत श्रम विभाग के साथ पंजीकृत है, क्या एमएसएमई? यदि हाँ, तो पंजीकरण की तारीख इंगित करें। (प्रमाण पत्र/पंजीकरण की एक प्रति जमा की जानी है)।	
9.	बैंकों का नाम और पता। कृपया इस निविदा दस्तावेज़ के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंक से एक प्रमाण पत्र संलग्न करें। अनुलग्नक - I और II	
10.	वाहन के प्रकार/निर्माण/मॉडल जैसे विवरणों के साथ स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या। वाहन की स्थिति/आयु उनके पंजीकरण टैक्सी परमिट संख्या, आदि के साथ (दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न करें)। बेड़े में वाहनों की सूची उनके आरसी/फिटनेस और स्वामित्व वाले परमिट की फोटोकॉपी के साथ अनुलग्नक-III के अनुसार प्रस्तुत की जानी है	
11.	क्या संस्था झारखंड राज्य दुकान और स्थापना नियम 2001 के तहत पंजीकृत है और टूर्स एंड ट्रेवल्स चलाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है।	
12.	मौजूदा ग्राहकों का नाम और पता पूरी जानकारी के साथ। अनुलग्नक-IV के अनुसार शीर्ष दो मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया आवश्यक है	
13.	बैंक खाता (आईएफएससी कोड और खाता संख्या) जहां संस्था द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	
14.	पैन और जीएसटी विवरण	

तकनीकी बोली के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियां

1. अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण (वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए)
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न।
3. वित्तीय स्थिति पर बैंकरों का प्रमाण पत्र ([अनुलग्नक - II](#))
4. ग्राहकों की सूची।
5. ग्राहक फीडबैक ([अनुलग्नक - IV](#))
6. निगमन दस्तावेज़
7. जहां भी लागू हो, पैन, टिन और जीएसटी पंजीकरण की प्रति
8. स्वामित्व वाली कारों की सूची ([अनुलग्नक - III](#))
9. कोई अन्य दस्तावेज़ (कृपया निर्दिष्ट करें)

बैंक प्रमाण मांगने/प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घोषणा:

- i. उपरोक्त जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी असत्य या झूठी पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया/ अनुबंध से वंचित किया जा सकता है।
- ii. मैं/हम बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
- iii. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि मेरी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और निविदाकर्ता के बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। मैं/हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि रखने के लिए भी सहमत हैं।
- iv. मैं/हम समझते हैं कि बैंक किसी भी कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- v. मैं/हम समझते हैं कि पैनल में शामिल होने के बाद, मैं/हम प्रत्येक श्रेणी के तहत सह-बोलीदाताओं द्वारा वित्तीय बोली में दी गई सबसे कम बोली पर भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के लिए वाहनों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।
- vi. बयाना जमा राशि का विवरण:

विवरण	राशि	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	लेन-देन संख्या
ईएमडी				

दिनांकित _____ का दिन _____ 2026

दस्तखत

निविदाकर्ता का नाम और मुहर

अनुलग्नक - I

बैंकों का विवरण

(आवेदक के लेटर हेड पर दिया जाना है)

विवरण	बैंकर 1	बैंकर 2
शाखा का नाम और आईएफएससी और ई- सहित इसका पूरा डाक पता और ई-मेल आईडी।		
शाखा प्रबंधक / संबंध प्रबंधक का नाम और पद उसके टेलीफोन नंबर के साथ और ई-मेल आईडी		
खाते का प्रकार और खाता संख्या		
वह अवधि जिससे सेवा प्रदाता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है (वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करें)।		
कोई भी अन्य जानकारी जो सेवा प्रदाता अपने बैंकरों के बारे में दे सकते हैं।		

अनुलग्नक - I A

कार्य अनुभव

निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित समान कार्यों की सूची

क्र. सं.	प्रदान की गई सेवा का विवरण	संगठन का नाम और पता	उस कर्मचारी/ अधिकारी का नाम और पता जिसके पर्यवेक्षण में सेवाएं प्रदान की गई थीं	कुल राशि (रु.) (पूरे वर्ष के लिए अनुबंध)	क्या सेवाएं मूल रूप से तय समय के लिए प्रदान की गई या नहीं	संस्था के साथ काम करने के वर्षों की संख्या

अनुलग्नक - II

अनुसूचित बैंक से बैंकरो के प्रमाण पत्र का रूप

(निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है - तकनीकी बोली में अपलोड किया जाना है)

- i. फर्म की संरचना (चाहे पार्टनरशिप/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड)
- ii. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम।
- iii. पिछले 3 वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (यानी, वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25.)
- iv. ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा जो फर्म द्वारा प्राप्त की जाती हो ।
- v. लेन-देन की प्रकृति और उस पर राय।
- vi. वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है ।
- vii. कोई अन्य टिप्पणी।
- viii. इस पर राय कि क्या पार्टी को आर्थिक रूप से इतना मज़बूत माना जाता है कि उसे ₹ 50 लाख की अनुमानित लागत वाले कामों का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा सके।

(हस्ताक्षर)

बैंक शाखा के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नोट:

- i. बैंकरो का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए।
- ii. प्रमाण पत्र में पार्टी के सभी भागीदारों और निदेशकों के नाम शामिल हैं जैसा कि बैंक के साथ दर्ज किया गया है।

<div style="text-align: right;">अनुलग्नक - III</div> <div style="text-align: center;"> वाहनों की सूची (आवेदक के लेटरहेड पर दिया जाना है) </div>				
क्र.सं.	वाहन का निर्माण	पंजीकरण सं	मॉडल और निर्माण का वर्ष	वर्तमान माइलेज
खुद के वाहन				
अनुबंध वाहन				

निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें:

- (अ) पंजीकरण प्रमाणपत्र
- (आ) बीमा के कागजात
- (इ) टैक्सी परमिट
- (ई) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

मुहर / स्टाम्प तिथि के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:
 दिनांक:
 स्थान:

अनुलग्नक - IV

एजेंसी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

(तकनीकी बोली में अपलोड किया जाना है)

- i. ग्राहक का नाम और पता:
- ii. मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण:
- iii. संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम:
- iv. समझौता सं. और तारीख:
- v. समझौते की राशि (रु.):
- vi. अनुबंध शुरू होने की तिथि:
- vii. अनुबंध की समाप्ति की तिथि:
- viii. कार एजेंसी के साथ संबंधों की अवधि:
- ix. फर्म द्वारा प्रदान किए गए वाहनों की गुणवत्ता:
- x. फर्म द्वारा प्रदान किए गए ड्राइवरों की गुणवत्ता:
- xi. फर्म के भागीदारों/मालिक की अखंडता और विश्वसनीयता:
- xii. प्रदान की गई सेवाओं में कमियों के लिए लगाए गए जुर्माने का विवरण (जुर्माना लगाने की तिथि, दंड की राशि और कारण)
- xiii. अनुबंध के दौरान एजेंसी के साथ विवादों का विवरण:
- xiv. कार एजेंसी द्वारा सेवा की गुणवत्ता पर सामान्य प्रतिक्रिया:
- xv. प्रदान की गई कार सेवाओं की रेटिंग: उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
- xvi. सिफारिश, यदि कोई हो या कोई अन्य प्रतिक्रिया

(ग्राहक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

भाग - II

फॉर्म II

अनुलग्नक ए

वित्तीय बोली

लागू करें और जीएसटी को छोड़कर कार किराए पर लेने के लिए दर चार्ट

विवरण (स्थानीय/ शहर दरें)	लोअर एंड सेडान	मध्य एंड सेडान	हायर एंड सेडान	एग्जीक्यू टिव हाई-एंड सेडान	लक्ज़री हाई एंड सेडान	एसयूवी सेगमेंट/ एमयूवी	हायर एंड एसयूवी/ एमयूवी	मिनी बस (15 - 25 सीटर) *
वाहन मॉडल	इंडिका/ निसान माइक्रा/ मारुति रिट्ज/लिवा या समकक्ष	टोयोटा इटियोस/ हुंडई एक्सेंट/मा रुति डिजायर या समकक्ष	होंडा सिटी/मा रुति सियाज/ निसान सनी या समकक्ष	टोयोटा कोरोला/ टोयोटा एल्टिस/ होंडा सिविक या समकक्ष	टोयोटा कैमरी/हों डा एकाई या समकक्ष	मारुति अर्टिगा/टो योटा टवेरा/टो योटा इनोवा या समकक्ष	टोयोटा इनोवा क्रिस्टा या समकक्ष	टेम्पो ट्रेवलर या समकक्ष
4 घंटे / 40 किमी								
8 घंटे / 80 किमी								
अतिरिक्त प्रति किमी शुल्क								
अतिरिक्त शुल्क प्रति घंटा								
एयरपोर्ट से पिकअप या आरबीआई राँची के लिए ड्रॉप करें								
प्रति किमी (प्रति दिन 250 किलोमीटर के बाद अतिरिक्त) आउटस्टेशन								
चालक भट्ट / भत्ता (आउटस्टेशन)								
रात्रि प्रतिधारण शुल्क (आउटस्टेशन)								
कुल	A	B	C	D	E	F	G	
L1 का चयन $(A+B+C+D+E+F+G)/7$ के आधार पर किया जाएगा।								

* वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए मिनीबस संस्करण का उपयोग नहीं किया जाएगा। सांकेतिक दरों का उपयोग भविष्य के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जब भी आवश्यक हो।

- i. हवाई अड्डे के पिकअप और ड्रॉप के लिए निश्चित शुल्क। हवाई अड्डे के ड्रॉप/पिकअप के लिए, केवल एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा।
- ii. हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन के 'ड्रॉप' के मामले में कोई पार्किंग शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- iii. हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन से पिकअप के मामले में, पार्किंग शुल्क का भुगतान निर्धारित उड़ान आगमन समय से अधिकतम एक घंटे पहले से शुरू होने वाली अवधि के लिए किया जाएगा, जो अतिथि के पिकअप के बाद हवाई अड्डे से निकलने तक होगा।
- iv. टोल और पार्किंग शुल्क का भुगतान मूल रसीद के उत्पादन के आधार पर केवल बाहरी यात्राओं के लिए वास्तविक रूप से किया जाएगा।
- v. उपर्युक्त स्थान से हवाई अड्डे के ड्रॉप/पिकअप के लिए, जीएसटी को छोड़कर, निश्चित राशि में करें और पार्किंग शुल्क आदि शामिल हैं। हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन के ड्रॉप/अन्य स्थानों से पिकअप के लिए, हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन के ड्रॉप के मामले में कोई पार्किंग शुल्क नहीं दिया जाएगा। हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन पिक अप ड्यूटी के लिए, पार्किंग शुल्क (निर्धारित / वास्तविक उड़ान आगमन समय से 1 घंटे पहले तक अतिथि को लेने के बाद तक) मूल बिलों / रसीदों के उत्पादन पर भुगतान किया जाएगा। टोल शुल्क का भुगतान मूल रसीद के उत्पादन पर ही किया जाएगा।
- vi. सभी वाहन अच्छी स्थिति में होने चाहिए और इसके असबाब आदि उचित आकार में होने चाहिए। इसे धोया जाना चाहिए और उचित सीट कवर प्रदान किया जाना चाहिए।
- vii. ऊपर उद्धृत शुल्कों में "कार्य के दायरे" में उल्लिखित वस्तुओं की लागत शामिल है जैसे बिस्लेरी, किनले, एक्काफिना, हिमालय आदि जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड से प्रति दिन 500 मिलीलीटर की दो मिनरल वाटर की बोतलें, फेस टिशू पेपर, एक अंग्रेजी दैनिक और एक वित्तीय समाचार पत्र, ड्यूटी पर चालक के लिए मोबाइल फोन, अग्निशामक यंत्र और वाहन में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। ऐसा न करने पर प्रति ट्रिप 500/- रुपये का जुर्माना लगेगा।
- viii. बैंक किसी भी निविदाकर्ता के मामले की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसकी सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं और यहां तक कि उसके अनुबंध को रद्द भी कर देती हैं।
- ix. उद्धृत रेटेड में सभी कर शामिल होंगे और जीएसटी को छोड़कर।
- x. बैंक संबंधित श्रेणी के तहत सबसे कम दरों का उल्लेख करते हुए निविदाकर्ता से विभिन्न श्रेणियों के तहत 60% तक वाहनों के स्रोत/मांग का अधिकार सुरक्षित रखता है। वाहनों को किराए पर लेना/मांगना विक्रेता द्वारा सेवाओं के संतोषजनक प्रदर्शन और बैंक/बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।
- xi. किसी भी अन्य ब्रांड/कार की किस्म जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, आवश्यकता के आधार पर पैनल में शामिल एजेंसियों से बैंक/बैंक द्वारा अनुरोध किया जा सकता है।

सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

संख्या _____ तारीख _____

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची

महोदय,

आपके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, मेसर्स ____ (जिसे इसके बाद "एजेंसी" कहा जाएगा) को भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची को गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए कार हायरिंग फर्म/एजेंसियों/कंपनियों के पैनल में शामिल करने की आपकी सहमति के बदले, उनके टेंडर दिनांकित ____ और आपके अनुबंध की विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, और आपके अनुबंध दिनांकित _____ में आपसी सहमति से तय की गई/बताई गई शर्तों और बदलावों के अधीन, हमारे द्वारा नीचे बताए गए तरीके से गारंटी के रूप में, हम (बैंक का नाम) इसके द्वारा आपसे निम्नलिखित करार करते हैं और सहमत होते हैं:

1 हम आपको ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) तक के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने और समय-समय पर क्षतिपूर्ति देते रहने का वचन देते हैं, जो एजेंसी द्वारा उक्त कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई किसी भी शर्त और नियम के उल्लंघन के कारण आपको हो सकता है या हुआ है, और यदि एजेंसी उक्त कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई भी काम करने में या उससे संबंधित किसी भी शर्त और नियम का सही इरादे और अर्थ के अनुसार पालन करने में कोई चूक करती है, तो हम मांग करने पर तुरंत आपको वह राशि या राशियाँ देंगे, जो कुल मिलाकर उक्त राशि ₹----- (रुपये-----) से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आप एजेंसी की ऐसी चूक के कारण अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या खर्च के रूप में दावा कर सकते हैं।

2 इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, एजेंसी ने ऐसी कोई चूक की है या नहीं, इस बारे में आपका फैसला और जिस रकम या रकमों के आप हकदार हैं, वह हम पर बाध्यकारी होगा और हम आपसे इस गारंटी के तहत अपने दावे या दावों को साबित करने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तुरंत भुगतान करेंगे।

3 यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और मान्य रहेगी जब तक आप एजेंसी के आवेदन पर, उक्त कॉन्ट्रैक्ट की संबंधित गारंटी अवधि खत्म होने के बाद और एजेंसी द्वारा उक्त कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा करने और उक्त कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम पूरा होने का सर्टिफिकेट पेश करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" जमा करने के बाद इसे जारी नहीं कर देते, बशर्ते कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के दिन से दो महीने बाद तक लागू नहीं रहेगी, आपके उन दावों पर कोई असर डाले बिना जो हमसे लिखित में मांगे गए हैं या हमें सूचित किए गए हैं।

4 अगर किसी भी वजह से इस गारंटी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को तब तक बढ़ाने का वादा करते हैं, जब तक आपको इसकी ज़रूरत हो। इस मामले में आपका फैसला

अंतिम होगा और हम पर बाध्यकारी होगा।

5 आपको इस गारंटी पर असर डाले बिना, समय-समय पर उक्त कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी शर्त को बदलने या एजेंसी के परफॉर्मेंस का समय बढ़ाने या एजेंसी के खिलाफ अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी शर्त को लागू करने या लागू न करने की पूरी आज़ादी होगी और उपरोक्त मामलों के संबंध में आपकी आज़ादी का इस्तेमाल करने या एजेंसी को कोई समय दिए जाने या आपकी ओर से किसी अन्य छूट, कार्य या चूक या एजेंसी के प्रति आपकी किसी भी रियायत या उक्त कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी बदलाव या संशोधन या किसी अन्य कार्य, मामले या चीज़ के कारण हमें इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो ज़मानतदारों से संबंधित कानून के तहत, यहाँ के प्रावधानों के बिना, हमें हमारी ज़िम्मेदारी से मुक्त करने का प्रभाव डालता है, बशर्ते कि यहाँ निहित कोई भी बात हमारी ज़िम्मेदारी को उपरोक्त ₹- (रुपये) की सीमा से आगे नहीं बढ़ाएगी। (रुपये) जैसा कि पूर्वोक्त है।

6 यह गारंटी किसी भी तरह से इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि आप एजेंसी या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से उसकी ओर से कोई सिक््योरिटी लेते हैं, बदलते हैं या छोड़ देते हैं, या एजेंसी के बंद होने, भंग होने, दिवालिया होने या मृत्यु होने से, जैसा भी मामला हो।

7 इसमें दी गई गारंटी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, आपको ऐसा काम करने का अधिकार होगा जैसे कि हम एजेंसी के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके क्षेत्रीय निदेशक देनदार थे, जिनकी गारंटी हमने ऊपर बताई गई है, और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अपने सभी ज़मानत के अधिकारों और अन्य अधिकारों, यदि कोई हो, को छोड़ देते हैं, जो इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ किसी भी तरह से असंगत हैं।

8 ऊपर बताई गई हमारी देनदारी की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी उक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित एजेंसी के खिलाफ आपके सभी दावों को समय-समय पर कवर करेगी और जिसके संबंध में आपका लिखित दावा इस गारंटी की समाप्ति से पहले हमें प्रस्तुत किया गया है।

9 इसके तहत मांग या अन्यथा के रूप में कोई भी नोटिस ऊपर बताए गए हमारे स्थानीय पते पर विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह तब दिया गया माना जाएगा जब उसे पोस्ट कर दिया गया हो।

10 यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान किसी अन्य गारंटी या गारंटियों के अतिरिक्त हैं, न कि उनकी सीमा या प्रतिस्थापन के रूप में, जो हमने आपको पहले दी हैं (चाहे दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) और जो अब रद्द नहीं हुई हैं और इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करना या सीमित करना नहीं है और न ही यह ऐसा करेगी।

11 यह गारंटी एजेंसी या हमारी संरचना में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपकी संरचना में किसी बदलाव या उसके किसी विलय या अधिग्रहण से प्रभावित होगी, बल्कि यह अधिग्रहण करने वाली या विलय की गई कंपनी या संस्था के लाभ के लिए होगी और उसके लिए उपलब्ध होगी और उसके द्वारा लागू करने योग्य होगी।

12 बैंक द्वारा उक्त टेंडर की किसी भी शर्त को लागू करने में कोई भी ढिलाई, कार्य या चूक या बैंक द्वारा टेंडर को कोई भी रियायत देने से ज़मानतदार किसी भी तरह से मुक्त नहीं होगा और इस गारंटी के तहत ज़मानतदार के दायित्व केवल तभी समाप्त होंगे जब बैंक द्वारा ज़मानतदार को इसकी सूचना दी जाएगी।

13. यह गारंटी इसकी वैधता अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और आपकी पिछली लिखित सहमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा। 14. हम आगे सहमत हैं और आपसे लिखित में मांगी गई रकम का भुगतान बिना किसी आपत्ति के करने का वचन देते हैं, भले ही आपके और एजेंसी या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई मतभेद या विवाद हो या उत्पन्न हो।

14. ऊपर लिखी किसी भी बात के बावजूद ₹----- (रुपये-----)। जब तक इस गारंटी की समाप्ति तिथि से पहले, जिसमें यदि कोई विस्तार शामिल है, इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हम पर लिखित दावा नहीं किया जाता है, तब तक गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हमें इसके तहत सभी देनदारियों से मुक्त और बरी माना जाएगा, भले ही मूल गारंटी हमें वापस की गई हो या नहीं।

15. हमारे बैंक के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत हमें आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और हस्ताक्षरकर्ता को बैंक द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने का पूरा अधिकार है।

हस्ताक्षरित और वितरित किया गया
(उपर्युक्त बैंक के लिए और उसकी ओर से)

(बैंकर का नाम और मुहर) शाखा प्रबंधक के लिए और
की ओर से
(बैंकर की मुहर)
पता _____

बिल प्रारूप

1	अतिथि का नाम	
2	यात्रा की तारीख	
3	कंपनी का नाम	
4	कंपनी का पता	
5	द्वारा बुक किया गया	
6	वाहन सं.	
7	वाहन का प्रकार	
8	ड्राइवर का नाम	
9	ड्राइवर मोबाइल	
10	ऊ्यूटी	स्थानीय/बाहरी

पिक अप/ड्रॉप विवरण

पिक अप का पता	
पिक अप का समय	
पिक अप (शुरुआती किलोमीटर)	
ड्रॉप का पता	
ड्रॉप समय	
ड्रॉप (समापन किलोमीटर)	
गैरेज लेने के लिए बिंदु (किलोमीटर में)	
गैरेज के लिए ड्रॉप पॉइंट (किलोमीटर में)	

ड्राइवर हस्ताक्षर

अतिथि हस्ताक्षर

समझौते का अनुच्छेद

यह समझौता राँची में इस दिन, दो हजार छब्बीस को भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची (जिसका सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में है और जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक निगमित निकाय) जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व (जिसमें उसके पद के उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे) पहले पक्ष के रूप में कर रहे हैं

और

M/s..... जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस पर है, जिसे इसके बाद "वेंडर" कहा जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व इसके डायरेक्टर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री (जिसमें इसके कानूनी प्रतिनिधि और असाइनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे) दूसरे पक्ष के रूप में कर रहे हैं, के बीच किया गया है।

चूंकि- पहला पक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के उपयोग के लिए किराए पर कार लेने के लिए कार हायर सर्विस प्रोवाइडर्स को नियुक्त करना चाहता था।

और चूंकि पहला पक्ष, वेंडर (दूसरा पक्ष) को वेंडर द्वारा प्रस्तुत फाइनेंशियल बिड के आधार पर एक साल की अवधि के लिए यानी 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत अनुबंध देना चाहता है।

और चूंकि वेंडर को जारी किया गया लिखित अनुबंध प्रस्ताव वेंडर द्वारा दिनांकित सहमति पत्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अब यहां पार्टियों द्वारा और उनके बीच इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. यह करार 01 अप्रैल, 2026 से लागू होगा और 31 मार्च, 2027 तक या जब तक इसे इसमें बताई गई शर्तों के अनुसार खत्म नहीं किया जाता, तब तक लागू रहेगा।
2. बताई गई कीमत ₹ (सिर्फ रुपये) जिसमें सेवाओं को अच्छे से देने के सभी पहलुओं की लागत शामिल है, इनवॉइस जमा करने पर असल आधार पर देय होगी। इसका पेमेंट बैंक के अधिकारियों द्वारा यह सर्टिफिकेट देने के बाद किया जाएगा कि सेवाएं संतोषजनक ढंग से दी गई हैं और सभी कानूनी बकाया/टैक्स वगैरह काटने के बाद किया जाएगा।
3. ऊपर बताए गए चार्ज पक्के हैं और लेबर की स्थितियों, एक्सचेंज में बदलाव या किसी भी अन्य शर्त के अधीन हैं। ऊपर बताए गए चार्ज में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शामिल नहीं है।
4. ऊपर बताए गए चार्ज में सर्विस चार्ज और GST, बीमा चार्ज और कोई भी ड्यूटी या अन्य लेवी शामिल है, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाई जाए।
5. वेंडर टेंडर की शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं देने के लिए ज़िम्मेदार होगा और टेंडर डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा माना जाएगा।
6. वेंडर बैंक/बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर ड्राइवर वाली गाड़ियां (फाइनेंशियल बिड में बताए गए गाड़ियों के प्रकार – एयर-कंडीशन्ड) उपलब्ध कराएगा और सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होना चाहिए।
7. टेंडर देने वालों के पास अधिमानतः अलग-अलग क्षमता वाली 3 (तीन) गाड़ियों का फ्लीट होना चाहिए (इनोवा क्रिस्टा या इसी तरह की कैटेगरी की कार से शुरू)।
8. सभी गाड़ियों का इंटीरियर, अपहोलस्ट्री साफ-सुथरा, बाहरी हिस्सा अच्छी तरह से मेंटेन और आवाज़ रहित ड्राइव होनी चाहिए।

9. सभी गाड़ियों में क) एक अखबार (अंग्रेजी/हिंदी) ख) प्रतिदिन 500 ml की ब्रांडेड पैकड पीने के पानी की दो बोतलें ग) फेस टिशू पेपर, घ) ज़रूरी दवाओं के साथ फर्स्ट एड किट और ङ) सैनिटाइज़र और सर्जिकल मास्क) फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए।

10. टेंडर देने वाले का ऑफिस और गैरेज राँची में होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस उद्देश्य के लिए लगाई गई गाड़ियों के लिए बैंक द्वारा कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

11. ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ट्रैफिक कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें दिखाना होगा। समय-समय पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना पूरी तरह से टेंडर देने वाले की ज़िम्मेदारी होगी। 12. तैनात ड्राइवरों के पास अच्छा ड्राइविंग रिकॉर्ड और उचित अनुभव होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर वह रास्ते में गाड़ियों की छोटी-मोटी मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए।

13. ड्राइवर को तय समय पर साफ़ यूनिफ़ॉर्म में ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा। उन्हें हमेशा साफ़-सुथरा रहना चाहिए और हर समय विनम्र, शिष्ट और सेवा-उन्मुख होना चाहिए।

14. उन्हें अपने साथ सेल फ़ोन रखना चाहिए और फ़ोन नंबर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, राँची को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

15. हर गाड़ी से जुड़े सभी दस्तावेज़ जैसे बीमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, रोड टैक्स, प्रदूषण, परमिट, वैध लाइसेंस, आदि हर गाड़ी में/ड्राइवरों के पास आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।

16. ठेकेदार लिखित या फ़ोन पर मौखिक निर्देशों पर तय समय के भीतर गाड़ियाँ उपलब्ध कराएगा। ठेकेदार को बैंक के कहने पर कम समय में भी गाड़ियाँ उपलब्ध करानी होंगी। यदि टेंडर हमारे अनुरोध पर गाड़ी उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो बैंक बिना किसी सूचना के टेंडर का अनुबंध रद्द करने और उसे पैनल से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. टेंडर को रिपोर्टिंग समय से कम से कम 3 घंटे पहले, कार नंबर, ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर बैंक के कार डेस्क के नोडल अधिकारियों और मेहमान को SMS द्वारा ज़रूर बताना होगा और समय-समय पर बैंक में रिकॉर्ड अपडेट करना होगा।

18. ड्राइवर बैंक द्वारा मांगे जाने पर हमेशा गाड़ियों के साथ उपलब्ध रहना चाहिए। उसे ड्यूटी स्लिप का विवरण जैसे गैरेज से निकलने का समय K.M. रीडिंग के साथ, छोड़ने का समय K.M. रीडिंग के साथ, पार्किंग/टोल शुल्क आदि भरना होगा और मेहमान से उस पर हस्ताक्षर करवाना होगा।

19. टेंडर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को बैंक में किसी भी रोज़गार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अनुबंध की समाप्ति के बाद सफल बोली लगाने वाले द्वारा तैनात किसी भी कर्मचारी को रोज़गार प्रदान करने के लिए RBI बाध्य नहीं होगा। अनुबंध के तहत किसी भी काम के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के आधार पर RBI में किसी भी रोज़गार का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।

20. टेंडर द्वारा नियुक्त ड्राइवर/कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ियों/व्यक्तियों को सुरक्षा जाँच से गुज़रना होगा। 21. टेंडर देने वालों द्वारा दी गई दरें और बैंक द्वारा उनकी स्वीकृति, तीन साल की अवधि के लिए मान्य रहेंगी। हालांकि, अगर लेबर कानूनों या फ़्यूल की कीमतों को प्रभावित करने वाले सरकारी फैसलों वगैरह में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले उनकी समीक्षा की जा सकती है। इसलिए, यह आपसी सहमति से तय नियमों और शर्तों के आधार पर किया जा सकता है।

22. करार के दौरान कार किराए की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

स्टैम्प शुल्क

कॉन्ट्रैक्टर इस करार की ओरिजिनल कॉपी पर स्टाम्प ड्यूटी देगा, जिसे दो कॉपी में बनाया जाएगा, और बैंक ओरिजिनल कॉपी रखेगा और कॉन्ट्रैक्टर डुप्लीकेट कॉपी रखेगा।

गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार इस करार के संबंध में अपने कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर/उपकरण आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और डिटेल्स, जो उसके कब्जे या जानकारी में आती है, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय उसे पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसे पूरा करने के लिए या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार बैंक की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा, या खुलासा करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को मुआवज़ा देगा। उपरोक्त का पालन न करने पर ठेकेदार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

i) ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने की ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से पूरी हों।

ii) खुलासा न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियाँ किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या रद्द होने के बाद भी बनी रहेंगी।

iii) ठेकेदार RBI को पेमेंट ऑफ़ वेजेस एक्ट, 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट, 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970, द एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड (एंड मिसलेनियस प्रोविज़ंस) एक्ट, 1952, पेमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट, 1965 या किसी अन्य श्रम कानूनों/नियमों/विनियमों/कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी नुकसान और दावों, क्षति या मुआवजे के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और सुरक्षित रखेगा। इस संबंध में किसी भी देनदारी के लिए केवल ठेकेदार ही ज़िम्मेदार होगा।

iv) ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करेगा। यदि परिसर के भीतर उसके कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक के संज्ञान में लाई जाती है, तो बैंक उचित समझे जाने वाले कदम उठाएगा, जिसमें आपराधिक कार्यवाही और कॉन्ट्रैक्ट/करार को समाप्त करना शामिल है। अगर इस करार पीरियड के दौरान बैंक को वेंडर/उसके कर्मचारियों/ड्राइवरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत मिलती है, तो शिकायत उक्त एक्ट के तहत बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने फाइल की जाएगी और वेंडर अपने कर्मचारियों/ड्राइवरों को एक्ट और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। सफल बोली लगाने वाले के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर RBI की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

v) बैंक ठेकेदार द्वारा तैनात किसी भी स्टाफ की मृत्यु या चोट या दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो उनके कर्तव्यों और रोज़गार के दौरान हो सकती है। यह सहमति हुई है और समझा जाता है कि ठेकेदार अकेले ऐसे स्टाफ और उनके परिवारों को ऐसे नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

vi) ठेकेदार अपने तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतेगा और किसी भी अप्रिय घटना यानी मुआवजे आदि के लिए ठेकेदार की एकमात्र ज़िम्मेदारी होगी।

समझौते की समाप्ति

ऊपर कही गई बातों पर कोई असर डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूरे विवेक से, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवज़े के, एक महीने के लिखित नोटिस द्वारा इस करार को तुरंत खत्म करने का हकदार होगा, यदि

- i) बैंक की राय में (जिसे कॉन्ट्रैक्टर चुनौती नहीं दे सकता और जो कॉन्ट्रैक्टर पर बाध्यकारी होगा) कॉन्ट्रैक्टर बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस करार को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या
- ii) कॉन्ट्रैक्टर इस करार के किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन करता है और/या
- iii) कॉन्ट्रैक्टर को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या उसने अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है या यदि कॉन्ट्रैक्टर की किसी भी संपत्ति या प्रॉपर्टी के किसी भी हिस्से पर कुर्की या अन्य प्रक्रिया लागू की जाती है, या रिसीवर नियुक्त किया जाता है और/या
- iv) किसी भी कारण से, कॉन्ट्रैक्टर कानून के अनुसार इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अयोग्य हो जाता है और/या
- v) बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना कॉन्ट्रैक्टर या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई बदलाव होता है।
- vi) किसी भी कारण से इस करार को खत्म करने की स्थिति में, कॉन्ट्रैक्टर/या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति या उसके एजेंट किसी भी तरह के मुआवज़े, नुकसान या किसी अन्य रूप में बैंक से किसी भी राशि के हकदार नहीं होंगे।

मध्यस्थता

अगर किसी भी समय पार्टियों के बीच इस करार की व्याख्या या इसमें कही गई किसी भी बात या इस करार से पैदा होने वाली किसी भी चीज़ या पार्टियों के अधिकारों, देनदारियों और कर्तव्यों के बारे में कोई विवाद, मतभेद या सवाल उठता है, तो उसे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी भी कानूनी बदलाव के प्रावधानों के तहत आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा और आर्बिट्रेटर/आर्बिट्रेटरों के पैनल का फैसला दोनों पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसके अलावा, ऐसे विवाद, मतभेद या सवाल, यदि कोई हों, तो उन्हें राँची में उत्पन्न माना जाएगा और केवल राँची की अदालतों को ही उन्हें तय करने का अधिकार होगा।

गवाह में पार्टियों ने आज राँची में एक साल के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं और यह करार दो प्रतियों में ऊपर लिखी तारीख को साइन किया जा रहा है।

हस्ताक्षरित और वितरित

हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

मुहर:

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के लिए

हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

मुहर:

गवाहों की उपस्थिति में

गवाह 1

गवाह 2